Baghal Dhara

"Beneath the Canopy, learning Takes Roots"

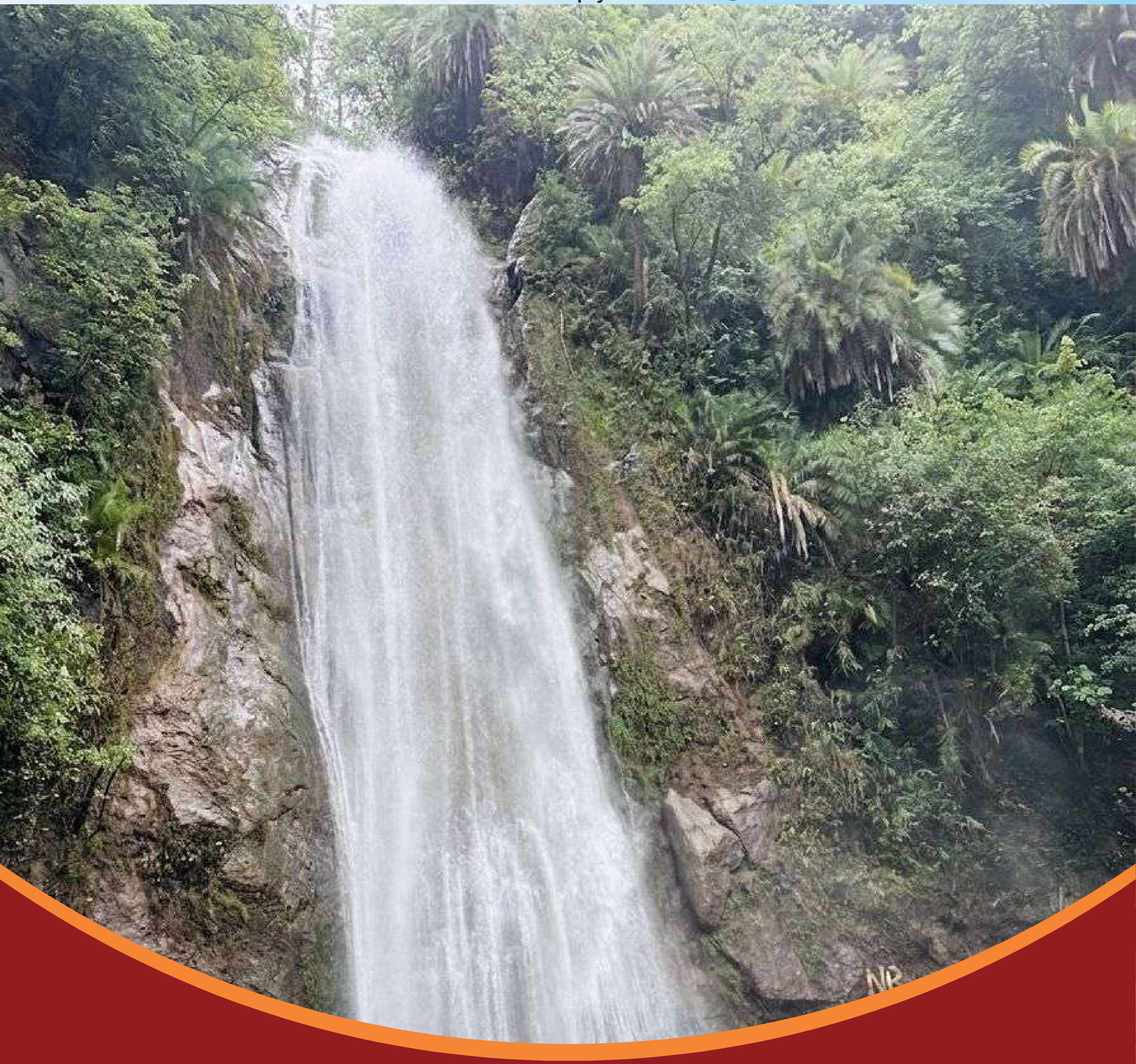

GOVERNMENT DEGREE COLLEGE JAINAGAR

Tehsil Arki, Distt. Solan, Himachal Pradesh

TEACHING STAFF

Dr.Anjana Sood
Principal /Administrator
M. Phil, Ph.D (Economics)

Mr. Kashmir Singh
M.A, UGC- NET
Department : History

Ms. Pragati Kashyap
M.Phil , UGC- NET JRF
Department : Pol. Science

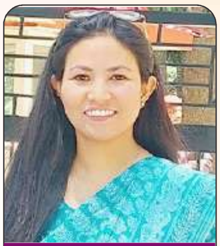

Ms. Chhering Zangmo
M.Phil , UGC- NET
Department : Economics

Mr. Jayant Sharma
M.Phil , UGC- NET (PURSUING PH.D)
Department : Commerce

NON-TEACHING STAFF

Mr. Rajeev Kumar
B.Com., B.Lib & Inf.Sc.
Designation : Asstt. Librarian

Mr. Yogesh Kumar
12th
Superintendent Grade-II

Mrs. Ratni Devi
Peon

Mr. Gagandeep
Peon

Mr. Shanti Swaroop
Peon

Mr. Hemant Kumar
Peon

Baghal Dhara

"Beneath the Canopy, learning Takes Roots"

ANNUAL MAGAZINE

GOVT. DEGREE COLLEGE
Jainagar, Distt. Solan (H.P.)
2025-26

PATRON

Dr.Anjana Sood
Principal

Note : Circulation strictly private. The views and the news published in the college magazine are not binding on the Principal or Editorial Board.

Education Minister
Himachal Pradesh
Shimla

Message

I am delighted to extend my heartfelt congratulations to the students, faculty and administration of Government Degree College Jainagar District Solan on the launch of your college magazine, "Baghal Dhara" This magazine symbolizes the vibrant flow of ideas, creativity, and knowledge within your esteemed institution. I commend the hard work and dedication that have gone into bringing this publication to life. "Baghal Dhara" will undoubtedly serve as a platform for showcasing the talents and achievements of the college community, fostering intellectual growth and encouraging innovative thinking. May this magazine inspire all readers to strive for excellence and contribute positively to our society. I wish you great success with this initiative and look forward to witnessing the positive impact it will have on students and faculty alike.

Rohit Thakur

Director of Higher
Education, Shimla-1

Message

It is matter of immense delight for me to know that your college is going to publish the college magazine.

College magazine is a very useful medium for your minds to express their bristling ideas and thoughts. It gives a chance to students, the budding writers to get the attention of others through their creative and contemporary writings. It is an essential ingredient of college regular activities and documentation of such events. The true purpose of higher education is to open the horizons for the curious young minds and to refine and polish them in such a way that they become responsible citizens of our country.

I wish your college a great future and grand success to the college magazine. I also congratulate the Editor(s) of the magazine and wish everyone all the best in their ventures.

Jai Hind.

(Dr. Amarjeet Kumar Sharma)

Principal's Message

It gives me immense pleasure to share my thoughts with the students through this college magazine, which serves as a mirror of our collective academic, cultural, and creative pursuits.

Education today is not limited to acquiring degrees; it is about nurturing values, skills, and character. In a rapidly changing world, knowledge must be complemented with critical thinking, communication skills, digital literacy, and adaptability. Equally important are timeless values such as integrity, empathy, discipline, and social responsibility, which shape not only successful professionals but also responsible citizens.

At Government College, Jainagar, we strive to provide an environment that encourages holistic development. Alongside academic excellence, we emphasise skill enhancement, innovation, teamwork, and experiential learning so that our students are well-prepared to meet real-life challenges with confidence and competence.

I urge my dear students to make the best use of the opportunities provided by the institution-participate actively in curricular and co-curricular activities, develop new skills, and remain curious lifelong learners. Let this magazine inspire you to express your ideas, showcase your talents, and reflect your commitment to growth and excellence.

I extend my appreciation to the editorial team and all contributors for their sincere efforts. I wish all students success in their academic journey and future endeavours.

Best wishes

Dr. Anjana Sood

Members of (CSCA) 2025-26

Ms Neeraj Kumari
President
BA- III 23009

Ms. Jaya Kumari
Vice-President
BA-III 23005

Ms. Poonam Devi
General Secretary
BA-II 24021

Mr. Jatin Kumar
Jt. Secretary
BA- I 25008

CLASS REPRESENTATIVES

Sr. No.	Name of the Student	Father Name	Class	Roll no	Designation
1	Ms. Kumari Shawnam	Sh. Keshav Kumar	BA-I	25016	Class representative
2	Ms. Bhavna Devi	Sh. Ram Lal	BA-II	24022	Class representative
3.	Ms. Payal Kumari	Sh. Raj Kumar	BA - III	23010	Class representative
4.	Ms. Anshika Bhardwaj	Sh. Baldev Kumar	B Com-I	25051	Class representative

NOMINATED MEMBERS FROM VARIOUS CLUBS

Sr. No.	Name of the Student	Class	Roll no.	Club
1	Ms. Deepika & Ms. Babita	BA III & BA II	23017 24004	Road Safety Club
2.	Mr. Amar Chand & Ms. Priyanka	BA III & BA II	23002 24007	NSS
3	Ms. Diksha & Ms. Neha Devi	BA III & BA II	23004 24023	Red Ribbon Club
4	Ms. Jyoti & Mr. Jagdish Chand	BA III & BA II	23006 & 24005	Red Cross Society
5	Ms. Poonam & Ms. Gaytri	BA III & BA II	23015 & 24008	Cultural Club
6	Ms. Kusum Lata & Mr. Amit	BA III & BA I	23018 & 25007	Eco Club
7	Mr. Akshay & Ms. Suhani	BA III & BA I	23001 & 25009	Sports Club

Nominated Members from Subject Societies/ Clubs

Sr. No.	Name of the Student	Class	Roll no.	Society/ Club
1	Ms. Meenakshi & Ms. Dimple	BA III & BA I	23008 & 25002	Social Sciences Club
2.	Ms. Ritika & Ms. Ritika	BA I & BA I	25022 & 25028	Commerce Society
3	Mr. Lalit Kumar & Ms. Dimple	BA I & BA I	25023 & 25013	Literary Society

Detail of all the Student Activities and Initiatives of various clubs and societies for the session 2025-26

Sr. No.	Date	Name	Committee/Clubs
1	16/07/2025	Induction-cum-Orientation	IQAC
2	07/08/2025	Youth Red Cross Society Training Session and Plantation Drive	Youth Red Cross Club, NSS and Disaster Risk Reduction Club
3	12/08/2025	International Youth Day – Cleanliness Drive and Mass Pledge on HIV Free Himachal	NSS and Eco Club, Red Ribbon Club
4	13/08/2025	Mass Pledge against Drug Abuse (Nasha Mukt Bharat Abhiyan)	Anti Drug Cell
5	13/08/2025	Independence Day – Paper Presentation	Social Sciences Club
6	19/08/2025	World Photography Day – Photography Contest	Cultural club
7	29/08/2025 & 30/08/2025	National Sports Day – Fit India Pledge, yoga, indigenous sports etc.	Sports club
8	13/09/2025	Red Ribbon Club Orientation	Red Ribbon Club
9	15/09/2025	International Day of Democracy – Essay Writing Contest	Social Sciences Club
10	17/09/2025	World Ozone Day – Poster Making Contest	Eco Club and NSS
11	19/09/2025	Hindi Diwas – Spelling & Handwriting Contest, Paper Presentation and Poetry Recitation	Literary Society
12	24/09/2025	NSS Day – Cleanliness Drive, Watering of Saplings and Poster Making	NSS
13	01/10/2025	International Day of Non Violence – Non Violence Pledge	NSS
14	08/10/2025	Mehandi Competition	Red Ribbon Club and Women Cell
15	16/10/2025	CSCA Oath Taking Ceremony	CSCA Committee
16	29/10/2025	Slogan Writing – NMBA 2.O and Non Violence	NSS, Anti Drug Cell and Social Science Club
17	31/10/2025	National Unity Day – Paper Presentation	Social Sciences Club

Detail of all the Student Activities and Initiatives of various clubs and societies for the session 2025-26

18	04/11/2025	Mass Rally cum Community Awareness Drive	NSS, Road Safety Club, Red Ribbon Club and Red Cross Society
19	06/11/2025	Road Safety – Slogan Writing and Poster Making	Road Safety Club
20	08/11/2025	Exhibition cum Sale	NSS and Eco Club
21	14/11/2025	Road Safety Quiz	Road Safety Club
22	15/11/2025	Rangoli Competition	Red Ribbon Club and Women Cell
23	18/11/2025	Slogan Writing – Anti Chitta Campaign	Anti Drug Cell & NSS
24	18/11/2025	Slogan Writing – HIV AIDS Awareness	Red Ribbon Club
25	20/11/2025	Lecture – Investment Awareness, Financial Literacy and Financial Frauds	Commerce Society
26	28/11/2025	Pledge on Anti Chitta and Anti Tobacco	Anti Drug Cell
27	08/12/2025	Road Safety Lecture	Road Safety Club
28	08/12/2025	HIV AIDS Awareness – Poster Making, Reel Making & Essay Writing	Red Ribbon Club
29	09/12/2025	Voter Registration & Awareness Event	Electoral Literacy Club
30	09/12/2025	HIV/ AIDS Awareness Rally	Red Ribbon Club
31	16/12/2025	Lecture – Higher Education Opportunities After Graduation: An Overview	NSS Unit & CC & PC
32	17/12/2025	Door to door Sensitization Drive – Anti Chitta Campaign	NSS Unit & Anti Drug Cell
33	20/12/2025	Lecture series – "Effective Communication Skills" and "Critical Thinking and Decision Making"	NSS Unit & CC&PC
34	27/12/2025	Declamation Contest	Anti Drug Cell
35	15/12/2025 to 21/12/2025	NSS Seven Day Special Camp	NSS Unit
36	14/02/2026	Annual Athletic Meet	Sports Club
37	03/03/2026	Cleanliness Drive and Beautification of the campus	Eco Club
38	07/03/2026	Women's Day Celebrations – Lecture Series	Red Ribbon Club and Women Cell
39	04/04/2026	Documentary Screening	Disaster Risk Reduction Club

National Service Scheme (NSS)

The National Service Scheme (NSS) Unit of Government Degree College, Jainagar remained Actively engaged in a wide range of social, environmental and awareness-based activities during the academic session 2025-26 with the objective of fostering social responsibility, discipline and leadership among students. On 7th August 2025, the NSS Unit, in collaboration with the Youth Red Cross Club and the Disaster Risk Reduction Club, organized a Youth Red Cross Society Training Session followed by a tree plantation drive in the college campus to sensitize students about humanitarian values, disaster preparedness and environmental conservation. On 12th August 2025, International Youth Day was observed through a cleanliness drive and a mass pledge on HIV-Free Himachal, organized jointly by the NSS Unit, Eco Club and Red Ribbon Club, wherein volunteers actively participated in maintaining campus cleanliness and spreading awareness about HIV prevention. On 17th September 2025, the NSS Unit, along with the Eco Club, organized a poster making contest to mark World Ozone Day, encouraging students to creatively express their concern for the protection of the ozone layer and environmental sustainability. NSS Day was celebrated on 24th September 2025 with Activities such as a cleanliness drive, watering of saplings planted earlier and poster making, highlighting the spirit and objectives of the NSS. Further, on 11th October 2025, the International Day of Non-Violence was observed by administering a Non-Violence Pledge to the NSS volunteers, emphasizing the values of peace, tolerance and harmony inspired by Mahatma Gandhi. A mass rally cum community awareness drive was organized on 4th November 2025 in collaboration with the Road Safety Club, Red Ribbon Club and Red Cross Society, during which volunteers spread awareness among the local community regarding road safety, health issues and social responsibilities. On 8th November 2025,An exhibition-cum-sale was organized jointly by the NSS Unit and Eco Club to promote eco-friendly products, creativity and sustainable practices among students. As part of the Anti-Chitta Campaign, a slogan writing competition was conducted on 18th November 2025 by the NSS Unit in collaboration with the Anti-Drug Cell, aiming to create awareness about the harmful effects of drug abuse. This campaign was further strengthened through a door-to-door sensitition drive conducted on 17th December 2025, during which NSS volunteers interacted directly with community members to spread awareness about drug addiction and the importance of a drug-free society. The NSS Unit also successfully organized a Seven-Day Special Camp from 15th December 2025 to 21st December 2025, which served as a major platform for community engagement and student development. During the camp, volunteers carried out cleanliness drives in the college campus, nearby temples, water sources and surrounding areas, contributing significantly to environmental hygiene. A lecture series was also organized on various topics related to personality development, health awareness, social issues and overall student development. Cultural activities were held in the evenings, providing students with opportunities to showcase their talents, promote cultural harmony and strengthen team spirit. Through these Activities, the NSS Unit of GDC Jainagar effectively upheld the NSS motto "Not Me, But You" by instilling a sense of service, responsibility and community involvement among students.

NSS Unit
GDC Jainagar

Red Ribbon Club (RRC)

The Red Ribbon Club (RRC) of the college actively functioned during the academic session 2025-26 with the aim of creating awareness about HIV/AIDS, promoting healthy lifestyles, and fostering social responsibility among students and the local community. The session began with a Mass HIV/AIDS Pledge on 12th August 2025, in which students, faculty and staff participated, reaffirming their commitment to prevention, awareness, and the elimination of stigma and discrimination. As part of its community outreach, the RRC adopted Jainagar village on 13thAugust 2025, initiating sustained engagement focussed on health awareness and preventive education. An Orientation Programme for newly admitted students was organized on 13th September 2025 to familiarize them with the objectives and activities of the Red Ribbon Club and to encourage active participation. A major event of the session was the Rally-cum-Community Awareness Drive on 4th November 2025, organized in collaboration with NSS, Road safety clubs, and the Red Cross Society. Students spread awareness through placards, slogans, and interaction with the public, emphasizing prevention, early testing and compassionate attitudes towards people living with HIV/AIDS.To promote creative and gender-sensitiveAwareness, a Rangoli Competition was organized on 14th November 2025 in collaboration with the Women Cell, followed by a Slogan Writing Competition on 18th November 2025, both witnessing enthusiastic student participation. In observance of World AIDS Day, Poster Making, Essay Writing, and Reel Making Competitions were organized on 8th December 2025, providing students a platform to express awareness and empathy through creative and digital media. The awareness activities concluded with an HIV/AIDS Rally on 9th December 2025, reinforcing the messages of prevention and collective responsibility. Overall, the activities of the Red Ribbon Club during the session were effective in enhancing awareness, encouraging student involvement and strengthening community outreach, reflecting the institution's commitment to public health and social responsibility.

RR Club
GDC Jainagar

ROAD SAFETY CLUB (RSC)

To promote responsible citizenship and inculcate a culture of safe road behavior, the Road Safety Club of Government Degree College, Jainagar organized a series of Awareness-oriented Activities aimed at sensitizing students and the community towards traffic rules and road safety norms.

<u>* Road Safety Oath and Community Awareness Drive-</u>This event was organized on 5th November 2025 with the objective of sensitizing students and the local community about safe road behavior Participants took a collective pledge to follow traffic rules responsibly, wear helmets and seat belts, avoid rash driving and promote road safety awareness. As part of the programme, volunteers conducted an interactive street walk-cum-rally, during which they engaged pedestrians and motorists in meaningful conversations. Volunteers also briefly stopped commuters to check compliance with safety measures, particularly the use of seat belts and helmets, and guided them on the importance of strictly adhering to traffic norms.

<u>* Slogan Writing and Poster Making Competition-</u>This activity was organized on 6th November 2025 with the aim of promoting creativity while spreading awareness about safe road practices. Students participated enthusiastically and presented their ideas through thought-provoking slogans and visually appealing posters on a wide range of topics such as responsible driving, avoidance of drunken driving. pedestrian safety, safe driving during adverse weather conditions, emergency response and first aid, use of helmets and seat belts and overall traffic discipline. The activity effectively highlighted key road. safety concerns and encouraged students to communicate meaningful social messages through artistic expression.

<u>* Road Safety Quiz</u> - The Road Safety Quiz was conducted on 14th November 2025 to strengthen students understanding of traffic rules and responsible road behaviour. Five teams participated in the quiz, competing across six engaging rounds that included multiple-choice questions, identification of road signs, scenario-based problem solving, situational judgement, fine related and rapid-fire questions The quiz promoted teamwork, quick thinking and practical application of road safety knowledge.

<u>* Lecture on Road Safety</u>- A lecture on Road Safety and important provisions of the Motor Vehicle Act was organized on 8th December 2025 to conclude the series of road safety activities. The session was delivered by the Convener of the club, Ms. Pragati Kashyap. The lecture covered the step-by-step process of applying for a driving licence, including eligibility criteria, learner's licence requirements, online application procedures and the importance of passing practical test. Key provisions such as compulsory helmet and seat belt use, penalties for drunken driving, over-speeding, use of mobile phones while driving and provisions related to juvenile driving were also highlighted. The session proved highly informative and motivated students to become informed, responsible and law-abiding road users.

Road Safety Club,
GDC Jainagar

National Sports Day

The Sports Club of Government Degree College, Jainagar organized a two-day programme to celebrate National Sports Day on 29th and 30th August 2025. The event was organized to commemorate the birth anniversary of Major Dhyan Chand, the legendary hockey player and to mark the launch of the Fit India Movement. The programme commenced on 29thAugust 2025 with the administration of the Fit India Pledge, encouraging students to adopt a healthy and active lifestyle. This was followed by a tribute to Major Dhyan Chand, highlighting his invaluable contribution to Indian sports. The event was graced by the presence of Dr. Anjana Sood, Principal, Government Degree College Jainagar, who motivated the students to actively participate in sports and physical activities for overall development. On the same day, a yoga activity was conducted to promote physical and mental well-being among students. On 30th August 2025, traditional and recreational sports activities were conducted to engage students further. Pitthu, an indigenous sport, was also organized to revive interest in traditional games. A Spoon Race was also held, generating excitement and active participation among students. The celebration successfully promoted awareness about the importance of fitness, sports and traditional games in daily life. The programme concluded on a positive note, reinforcing the objectives of the Fit India Movement and encouraging students to adopt a healthy and active lifestyle.

Sports Club
GDC Jainagar

WORLD PHOTOGRAPHY DAY

VIEW AFTER SUNSET

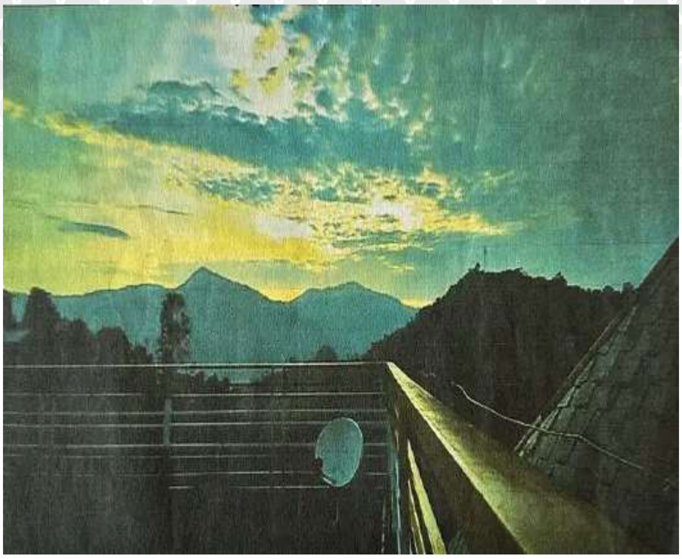

This picture beautifully captures the view after sunset. The glowing golden and purple hues spread though sky creating. A magical sunlight contrast with the dark silhouette of the mountains. The clouds scatter the sunlight, making the horizon look like a painting. The rooftop railing and dish antenna add a touch of daily life, blending human presence with the serene beauty of nature.

Poonam Devi
B.A.3rd year
23004

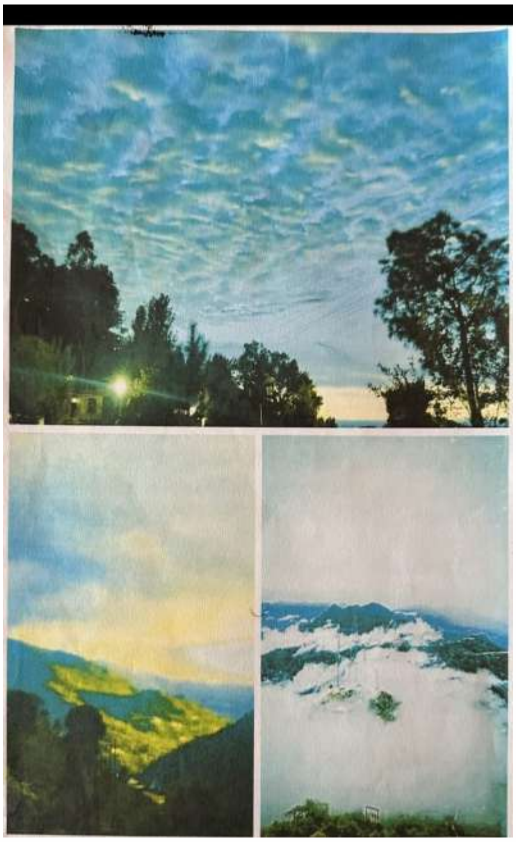

A Glimpse After the Rain

World Photography day is celebrated every year on 9th August to honor the power of photography, which allows us to capture not just images but also emotions, culture, and the essence of life. On this occasion, I present a photograph taken from my village, Chamdar, after a refreshing rainfall.

Rain always brings a special charm to nature. In Chamdar, the hills appear wrapped in soft mist, as if clouds have descended to touch the earth. The trees look freshly bathed, their greenery more vibrant than ever. The village houses, stand peacefully among the hills and shine with simplicity and warmth. The entire landscape glows with new energy, as if nature has been reborn.

This picture from Gadhkal, taken just after sunset, captures the magical beauty of the evening sky. The clouds, painted in soft shades of blue and pink, create a peaceful atmosphere. The glowing horizon blends with nature's calm surroundings, making the view serene, refreshing, and full of silent poetry.

On World Photography Day, this image is my tribute to the timeless charm of my village and to the art of photography, which makes such beauty everlasting.

DIKSHA KUMARI
B.A. 3rd Year

रामशहर किला

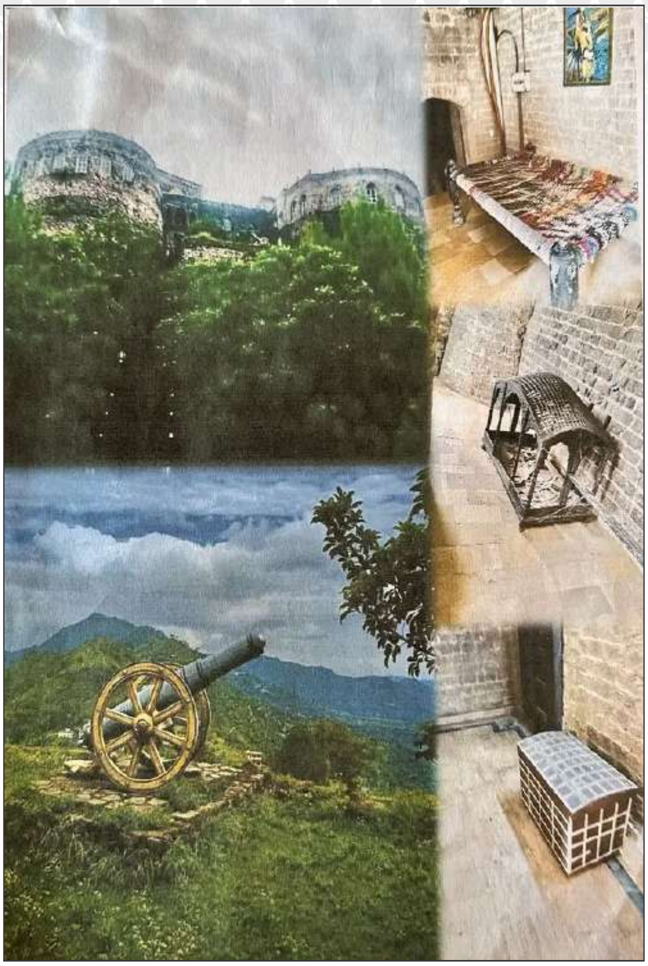

यह तस्वीर रामशहर किला जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के समीप रामशहर की है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं। इस तस्वीर में रामशहर के किले की तस्वीर, तोप, चारपाई तथा पालकी है।

रामशहर किला हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के समीप रामशहर में स्थित हैं। इस किले में सदियों पुराने इतिहास और संस्कृति की झलक देखने को मिलती हैं। पहाड़ी की चोटी और आसपास के पहाड़ों का मनमोहक दृश्य इसे और खूबसूरत बना देता हैं। रामशहर का किला हिमाचल प्रदेश की समृद्ध साँस्कृतिक विरासत का चिरस्थायी प्रमाण है। अपने ऐतिहासिक अतीत से लेकर मनोरम दृश्यों तक इस किले का हर पहलू पर्यटकों को इसके रहस्यों को जानने और इसकी भव्यता पर अचंभित होने के लिए आकर्षित करता हैं। इस किले को होटल में बदल दिया है। कई पर्यटक यहाँ की खूबसूरत विरासत को देखने जाते हैं। रामशहर किले का निर्माण चंदेल राजपूत वंश के राजा रामचन्द्र द्वारा करवाया गया था। रामशहर किला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल हैं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और इतिहास प्रेमियों के लिए शान्त विश्राम स्थल भी हैं। किले में एक मुख्य द्वार, रानियों के स्नान गृह, भंडार गृह के लिए कुएँ, काल कोठरी, चारपाई, तोप, पालकी, तथा किले के मुख्य द्वार पर हाथी दांत से की गई नक्काशी देखने लायक हैं। यह किला हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक हैं। इस शहर में किसी समय बहुत रौनक हुआ करती थी और 300 के करीब दुकानें हुआ करती थी। किले में एक दरवाजा बनाया गया है जिसका नाम नालागढ़ गेट हैं और यहाँ खड़े होकर नालागढ़ का पूरा नजारा देखा जा सकता हैं। किले में आज भी पुराने कैदियों की जेल मौजूद हैं। रामशहर किले में पुरानी तोप जो किले की सामरिक ताकत को दर्शाता है। यह तोप किले की युद्धकला का प्रतीक हैं। तोप की उपस्थिति यह संकेत करती है कि रामशहर किला ना केवल एक सुरक्षा का केन्द्र था, बल्कि यह उस समय के सामारिक युद्ध की रणनीतियों का हिस्सा था। रामशहर किला, हिमाचल के ऐतिहासिक किलो में अनमोल धरोहर हैं जो न केवल प्राचीन किलाबंदी का उदाहरण हैं, बल्कि यह हमें उस समय की युद्धकला, शाही जीवनशैली से अवगत कराता है। यह किला हिमाचल की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करता है तथा ऐतिहासिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण है।

नीरज कुमारी
कला स्नात्तक तृतीय वर्ष
अनुक्रमाँक–23009

बिलासपुर – मार्कण्डेय ऋषि मन्दिर

यह तस्वीर बिलासपुर मार्कण्डेय में ऋषि जी के मन्दिर की हैं। मार्कण्डये ऋषि मन्दिर बिलासपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मार्कडेय ऋषि को समर्पित एक पूजा स्थल हैं। ऋषि मार्कण्डेय के भक्त अक्सर पूजा–अर्चना के लिए इस स्थल पर आते हैं। यह अत्यन्त धार्मिक महत्व का मन्दिर हैं। इसकी सुन्दरता पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। ऋषि मार्कडेय जी की पूजा संतान के रक्षक के रूप में की जाती हैं। हर साल वैशाखी के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता हैं जिसमें बढ़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री अपनी संतानों की भलाई के लिए मार्कडेय जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। यहाँ पर एक झरना भी स्थित हैं। पर्यटक यहाँ स्थित पवित्र झरने में स्नान भी करते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे बाँझपन और शिशु रोग ठीक हो जाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार शादियों के समय भी लोग यहाँ पर जाकर स्नान करने को पवित्र मानते हैं। यहाँ का शान्त वातावरण आंगतुकों को उनकी चिंताओ और बेचैनी से मुक्त करवाता है और उनके अशान्त मन को शांत करके जीवन में दिशा प्रदान करता हैं। यहाँ के झरने में औषधीय गुण है। देवता की मूर्ति मन्दिर की अनूठी विशेषता है। भक्तों का यह भी मानना है कि ऋषि–मार्कण्डेय उनकी शारीरिक और चिकित्सीय बीमारियों का इलाज करते हैं। कई नि:संतान दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना से ऋषि मार्कण्डेय की पूजा करने मन्दिर आते हैं। यह–चमत्कार हैं या विशुद्ध विज्ञान। यह प्रत्येक आंगतुक पर निर्भर करता है।

नीरज कुमारी

कला स्नात्तक तृतीय वर्ष

अनुक्रमाँक–23009

WORLD PHOTOGRAPHY DAY

पहाड़ी व्यंजन - अस्कलू या एंकल

यह तस्वीर एंकलू जो स्थानीय व्यंजन की है। यह हमारा पारम्परिक व्यंजन है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में दीवाली तथा अन्य त्योहारों के समय विभिन्न पकवान बनाएं जाते हैं। इन्हीं में से एक है अस्कलू (अस्कली) जिसे कुछ स्थानों पर लूसके या एंकलू भी कहा जाता हैं। अस्कलू एक प्रकार का पारंपरिक चावल के आटे से बना व्यंजन हैं, जो खासकर दीवाली, संक्रान्ति था अन्य शुभ अवसरों पर पहाड़ी घरों में बनाया जाता है। इसे पारंपरिक तरीके से पत्थर की तवा या लोहे की तवा पर बनाया जाता हैं। अस्कलू बनाने के लिए चावल के आटे को पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार, घी या तेल तवे पर लगाकर बनाया जाता है। कई स्थानों पर –चावल के आटे में थोड़ा नमक भी डाला जाता है।

अस्कलू बनाने की विधि

अस्कलू बनाने के लिए एक गहरे बर्तन में चावल का आटा लें और उसमें धीरे–धीरे पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें। घोल न ज्यादा गाढ़ा हो, न बहुत पतला। पांरपरिक रूप से इसे पत्थर के तवे, या लोहे के मोटे तवे पर बनाया जाता है। तवा गर्म करे और उस पर थोड़ा घी या तेल लगाए। तैयार घोल को कड़छी या अन्य बर्तन से तवे पर गोलाई में फैलाएं। ध्यान रहे कि घोल समान मोटाई में फैले। इसे धीमी आँच पर पकने दे। ऊपर से बर्तन से ढककर पकाएं ताकि अच्छी तरह पक जाए। पकने के बाद इसे गरम–गरम परोसें। इसे धी–शक्कर, दाल के साथ खाया जाता हैं। दीवाली जैसे पर्व में इसे देवी–देवता को अर्पित किया जाता है। यह व्यंजन न केवल स्वाद के लिए बल्कि धार्मिक भावना से भी बनाए जाते हैं। पुराने समय में पूरा परिवार साथ मिलकर इसे बनाता था। यह अपने आप में एक सांस्कृतिक परम्परा हैं। यह पहाडी जीवनशैली, सादगी और संस्कृति का भी प्रतीक है। यह व्यंजन प्रमुख रूप से सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर तथा अन्य स्थलों का पारंपरिक व्यंजन हैं। सिरमौर जिले के चरावग गाँव में परिवार जन भी पारंपरिक पत्थर–अस्कली के साँचे बनाते हैं। अस्कलू का पारंपरिक तथा सांस्कृतक महत्व है जो परिवारिक सहयोग, धार्मिक पूजा तथा पर्वों में शामिल हैं।

नीरज कुमारी

कला स्नात्तक तृतीय वर्ष

अनुक्रमाँक–23009

सामाजिक न्याय और सरकारी सुधार

सामाजिक न्याय और सरकारी सुधार आपस में गुंथी हुई अवधारणाएं हैं तथा सरकारी सुधार सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों के लिए समान अधिकार अवसर और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना है जबकि सरकारी सुधारों में सामाजिक कल्याण में सुधार और असमानताओं को दूर करने के लिए कानूनों, नीतियों और संस्थाओं में परिवर्तन शामिल हैं। भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक न्याय पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ इस सम्बन्ध का विस्तृत विवरण और कुछ उदाहरण दिए गए हैं।

मुख्य अवधारणाएँ;

* **सामाजिक न्याय:** सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और न्याय मिलना। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग आर्थिक स्थिति या अन्य किसी भी कारण से भेदभाव का सामना न करना पड़े। सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति सम्मान और गरिमा के साथ जी सके !

* **सरकारी सुधार:** नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति दक्षता, प्रभावशीलता और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए कानूनों, नीतियों और संस्थाओं सहित सरकार की संरचना और कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना।

अंतर्संबंध ;

* **एक उपकरण के रूप में सुधार :** सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सरकारी सुधार एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा स्वास्थ्य सेवा या सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में सुधारों से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सीधे लाभ मिल सकता है।

* **सामाजिक न्याय की चिंताओ से प्रेरित सुधार:** सामाजिक न्याय से सम्बन्धित आंदोलन और वकालत भी सरकारी सुधारों को आगे बढा सकते हैं, जब नागरिक असमानता और अन्याय के बारे में जागरूकता बढाते हैं तो इससे उन मुद्दो को संबोधित करने के उद्देश्य से नीतिगत परिवर्तन हो सकते हैं।

भारत में उदाहरण;

* **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के प्रति प्रावधान शामिल है जैसे भेदभाव पर रोक लगाना, समान अवसर सुनिश्चित करना और हाशिए पर पड़े समूहों के कल्याण को बढ़ावा देना।

* **सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय:**
यह मंत्रालय हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। उदाहरणों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजनाएं शामिल है।

* **आर्थिक सुधार:** भारत ने स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए हैं जिनमें नियोजन और उदारीकरण शामिल है जिनका लक्ष्य आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ना तथा गरीबी और असमानता जैसे मुद्दों का समाधान करना है।

* **विशिष्ट योजनाएं:** सरकार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृति योजना और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य विशिष्ट सामाजिक न्याय लक्ष्य प्राप्त करना है।

चुनौतियाँ और विचार;

* **कार्यान्वयन अंतराल:** प्रगतिशील नीतियों के बावजूद सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती हो सकती है जिसके लिए मजबूत संस्थागत क्षमता और संसाधनों की आवश्कता होगी।

* **प्रभाव आकलन:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, सुधारों के प्रभाव का आकलन करना महत्वपूर्ण है।

* **सामाजिक न्याय का महत्व:** सामाजिक न्याय केवल कानून बनाने से नहीं मिलता, बल्कि यह तब संभव होता है जब समाज में हर व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार समान रूप से मिले। इससे गरीबी भेदभाव और असमानता कम होती है तथा लोकतंत्र मजबूत होता है।

* **सरकारी सुधार की आवश्यकता:** समय के साथ समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव आता है, इसलिए सरकारी नीतियों और प्रशासन में सुधार आवश्यक हो जाता है। सरकारी सुधार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और नीतियों को जनहितकारी बनाना है।

भारत में सामाजिक न्याय और सरकारी सुधार के उदाहरण;

* **सामाजिक न्याय के लिए प्रयास:** आरक्षण नीति, शिक्षा का अधिकार, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण कानून

* **सरकारी सुधार:** डिजिटल इंडिया, ई-गर्वनेंस, आर. टी. आई. (सूचना का अधिकार), जी एस टी, न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचार विरोधी कानून।

* **सामाजिक न्याय और सरकारी सुधार का संबध:** जब सरकार समय-समय पर सुधार करती है, तो वह सामाजिक न्याय को मजबूत बनाती है उदाहरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, गरीब और वंचित वर्ग को ऊपर उठाने में मदद करता है। वही सामाजिक न्याय सुनिश्चित होने पर नागरिक सरकार के प्रति विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है।

निष्कर्ष:

सामाजिक न्याय और सरकारी सुधार एक सशक्त समानता आधारित और पारदर्शी समाज के निर्माण के दो स्तंभ है। यदि सरकार और नागरिक दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कार्य करें तो एक ऐसा भारत बन सकता है, जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।

-नेहा शर्मा
कला स्नातक दितीय वर्ष
अनुक्रमाँक 24010

भारतीय राष्ट्रीय एकता पर संविधानिक नींव

भूमिका :
भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्तूबर को मनाया जाता है, यह दिन हमारे देश के महान नेता सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जंयती के रूप में मनाया जाता है। जिन्हे पूरे भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ की नदियाँ पर्वत, धर्म, भाषाएँ और सस्कृतियाँ अलग-2 है, लेकिन हमारे दिलों की धड़कन एक ही है। हमारा संविधान इस विविधता को जोड़ने वाला सबसे बड़ा सूत्र है, जिसने भारत को अखण्डता और समानता के बंधन में बाँधा है। सरदार वल्लभभाई पटेल जी का राष्ट्रीय एकता में अत्यधिक योगदान है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत 562 रियासतों में बंटा हुआ था, तब सरदार पटेल जी ने अपने अनुभव कूटनीति दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति से इन सभी रियासतों को एक भारत संघ में समेट दिया। सरदार पटेल जी का यह कार्य भारतीय इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज भी उनकी 'स्टेच्यू आफ यूनिटी' हमे याद दिलाती है कि जब राष्ट्र एक होता है तो कोई भी चुनौती असंभव नही रहती।

उनका यह विश्वास था कि देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर है यदि हम बंट जाएगें तो हमारी पहचान मिट जाएगी।

<u>संविधान राष्ट्रीय एकता की आत्मा:</u>
हमारा संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा है। संविधान ने हमे वह ढांचा दिया है, जो देश की एकता अखंडता और समानता को सुनिश्चित करता है। इसमें कुछ ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं।

1. प्रस्तावना
संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण संपन्न समाजवादी, धर्मनिपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य धोषित किया है। यह शब्द हमारे देश की आत्मा है जो हमे समानता न्याय और भाईचारे की दिशा दिखाते है।

2. मौलिक अधिकार:
संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह नागरिकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह इस राष्ट्र के समान सदस्य हैं। चाहे उसका धर्म, भाषा या प्रांत कोई भी हो। समानता ही एकता की पहली शर्त है।

3. राज्य के नीति निर्देशक तत्व:
ये तत्व सरकार को यह दिशा देते हैं कि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता बनी रहे।

4. संघीय ढांचा:
भारत का संविधान केन्द्र और राज्यों दोनों को शक्तियाँ देता है, फिर भी यह एक मजबूत संघीय व्यवस्था है। जहाँ सभी राज्य मिलकर एक भारत बनाते है। यही भारत की ताकत है- विविधता में एकता

5. राष्ट्रीय प्रतीक और भाषा नीति :
संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह और हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये प्रतीक न केवल हमारी पहचान है, बल्कि हर भारतीय को जोड़ने की कड़ी भी है।

<u>राष्ट्रीय एकता का महत्व और उद्देश्य :</u>
राष्ट्रीय एकता का अर्थ केवल भौगोलिक अखण्डता नहीं बल्कि यह भावात्मक संस्कृति और सामाजिक जुड़ाव है। यह संविधान का मुख्य उद्देश्य है। भारत के हर नागरिक में यह भावना जागृत करना जरूरी है कि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। हम अलग -2 धर्मों के हो सकते है लेकिन हमारी मातृभूमि एक है भारत माता।' राष्ट्रीय एकता ही वह शक्ति है जिसने भारत को हर कठिन परिस्थिति में संभाला है -

स्वतंत्रता संग्राम में, विभाजन के समय, या किसी भी प्राकृतिक आपदा में हर बार हमारी एकता ने ही हमें मजबूत बनाया है

<u>आज की पीढ़ी की जिम्मेवारी:-</u>
प्रिय साथियो

आज हम उस पीढ़ी का हिस्सा है जिसे संविधान के आदर्शो को न केवल समझना है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाना भी है।

एकता केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए।

धर्म, भाषा या क्षेत्र के नाम पर भेदभाव हमें कमजोर करता है।

<u>निष्कर्ष:</u>
हमारा संविधान हमें यह सिखाता है कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश की विविधता का सम्मान करे और एकता को अपनी ताकत बनाए।

सरदार पटेल जी के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब उद्देश्य एक हो, तो किसी भी दीवार को गिराया जा सकता है।

आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम संविधान का पालन करेंगे, हर नागरिक का सम्मान करेंगे, और भारत को एकता, सद्भाव और शांति का प्रतीक बनाएगें।

एक भारत - श्रेष्ठ भारत

जय हिन्द। जय भारत।

नेहा देवी
कला स्नातक द्वितीय
अनुक्रमाँक 24023

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका

राष्ट्रीय एकता का अर्थ

शिक्षा का दीप जलाएं हम,
राष्ट्रीय एकता की राह दिखाएँ हम।
ज्ञान का प्रकाश फैलाए हम,
एकता का संदेश जगाएं हम।।

प्रस्तावना:

जब किसी समाज में सारे व्यक्ति किसी निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा के अन्दर अपने पारस्परिक भेद-भावों को भुलाकर समूहीकरण की भावना से प्रेरित होते हुए एकता के सूत्र में बन्ध जाते हैं तो उसे राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रवादियों का मत है -व्यक्ति राष्ट्र के लिए है राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। भारत एक विविधताओं से भरा देश है-यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, जातियाँ और संस्कृतियाँ है। इन सबके बीच एकता बनाए रखना आसान नहीं है। इस एकता को बनाए रखने में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरदार बल्लभभाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को एक मजबूत और एकजूट राष्ट्र बनाने में मदद की। इसी कारण भारत सरकार ने 2014 को उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। इस एकता को बनाए रखने और मजबूत करने में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शिक्षा का अर्थ और उद्धेश्य:

शिक्षा केवल पढ़ाई-लिखाई या डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। इसका असली उद्धेश्य व्यक्ति के चरित्र, विचार और दृष्टिकोण का विकास करना है। शिक्षा व्यक्ति को सच्चाई, सहनशीलता, प्रेम समानता और मानवता की भावना सिखाती है जो राष्ट्रीय एकता की जड़े मजबूत करती है।

1. **राष्ट्रीय चेतना का विकास:**
   शिक्षा व्यक्ति में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को जगाती है। पाठ्यचर्या और गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना विकसित की जाती है जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों, नायकों, और राष्ट्रीय पर्वों का सम्मान करना।
2. **राष्ट्रीय भाषा की भावना का विकास:**
   राष्ट्रीयता की शिक्षा राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र नागरिकों को किसी अमुख भाषा के द्वारा राष्ट्र की सम्पूर्ण विचारधारा तथा साहित्य की शिक्षा प्रदान करके समाज की विभिन्न इकाईयों, राज्यों तथा जातियों एवं प्रजातियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। इससे राष्ट्रीय भाषा का विकास होता है।
3. **आत्म त्याग की भावना का विकास :**
   राष्ट्रीयता की शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के सभी नागरिकों में आत्म-त्याग की भावना विकसित हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप उनकी सभी स्वार्थपूर्ण भावनायें समाप्त हो जाती हैं तथा वे अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करते हैं।
4. **विविधता में एकता शिक्षा :**
   शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक सीमाओं से परे जाकर एक सांझा राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान है।
5. **सामुदायिक और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी :**
   राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रम छात्रों को सामुदायिक सेवा में भाग लेने और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
6. **राष्ट्रीय प्रतीकों और त्योहारों का सम्मान:**
   राष्ट्रीय त्योहारों जैसे (स्वतत्रंता दिवस, गणतंत्र दिवस) और प्रतीको जैसे (राष्ट्रगीत) को मानने और उनका सम्मान करने से छात्रो में राष्ट्रवाद और एकता की भावना बढ़ती है।
7. **आधुनिक समय में शिक्षा की आवश्यकता :**
   आज के वैश्वीकरण और तकनीकी युग में लोगों के विचार और जीवनशैली बदल रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण गलत सूचनाएं भी फैलती हैं जो समाज में विभाजन पैदा कर सकती हैं। ऐसे में शिक्षा ही वह साधन है जो युवा पीढ़ी को सही दिशा में सोचने और देशहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
8. **ऐतिहासिक दृष्टि से उदाहरण:**
   स्वतंत्रता संग्राम के समय शिक्षा ने राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाईं गांधीजी, टैगोर, नेहरू, डॉ राधाकृष्णन जैसे नेताओं ने शिक्षा को समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण का साधन माना।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय एकता किसी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। शिक्षा ही हमें सिखाती है कि विविधता में भी एकता है। शिक्षा केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि राष्ट्र का भी निर्माण करती है। शिक्षित समाज ही मजबूत, जागरूक और एकजुट राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए कहा भी गया है

''जहाँ शिक्षा है, वहाँ एकता है
और जहां एकता है, वहाँ समृद्धि है''

पूनम देवी
कला स्नातक द्वितीय वर्ष
अनुक्रमाक 24021

वैश्वीकरण और सोशल मीडिया के युग में राष्ट्रीय एकता

भूमिका

वर्तमान समय को वैश्वीकरण और सोशल मीडिया का युग कहा जाता है, आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी है। विज्ञान तकनीक और संचार के विकास ने सीमाओं को मिटा दिया है। एक

देश की जानकारी संस्कृति और विचार अब कुछ ही सेंकडं में दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं। परन्तु इस वैश्विक जुड़ाव के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या इस बदलते युग में हमारी राष्ट्रीय एकता उतनी ही मजबूत बनी हुई है?

राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। जब देश के लोग एकजुट रहते है तब देश प्रगति करता है। लेकिन जब समाज में मतभेद, भेदभाव और नफरत फैलती है तो एकता कमजोर हो जाती है।

वैश्वीकरण का अर्थ और प्रभाव: विश्व को एक साझा अर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक इकाई के रूप में देखना इससे देशों के बीच वस्तुओं, विचारों, तकनीक, संस्कृति, और मानवीय संबधों का आदान- प्रदान बढ़ता है।

भारत भी इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हमने विदेशी शिक्षा, विज्ञान, उद्योग और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा है लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियों भी सामने आई हैं-विदेशी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव से पारंपरिक मूल्य कमजोर ही रहे हैं।

- भाषा, पहनावा और जीवनशैली में बदलाब से स्थानीय पहचान को खतरा पैदा हो रहा है।
- युवाओं में आधुनिकता की होड़ के चलते राष्ट्रीय भावना में कमी देखने को मिलती है।

सोशल मीडिया का उदय 21 वीं सदी में सोशल मीडिया ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूबु, व्हाट्सऐप, एक्स जैसे मंचों ने लोगों को जोड़ने का एक नया माध्यम दिया है। आज भारत में करोडों लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। इसके माध्यम से न केवल समाचार, बल्कि विचार, शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरुकता तक फैलती है।

सोशल मीडिया और राष्ट्रीय एकता

सोशल मीडिया का उपयोग दो प्रकार से देखा जा सकता है।

सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव।

सकारात्मक प्रभाव

सोशल मीडिया देशभर के लोगों को जोडने का काम करता है।

यह विभिन्न राज्यों, धर्मों और भाषाओं के बीच संपर्क और समझ बढ़ाता है।

युवा वर्ग देशभक्ति से जुड़ी सामग्री देखकर प्रेरित होता है।

नकारात्मक प्रभाव:

- अफवाहे, झूठी खबरे और नफरत फैलाने वाली पोस्ट लोगों के बीच विभाजन बढ़ाती है।
- धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर एक-दूसरे के प्रति द्वेष पैदा किया जाता है।
- सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं से हिंसा और अविश्वास की घटनाएँ भी होती है।

इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग बहुत सावधानी से करना आवश्यक है।

वैश्वीकरण, सोशल मीडिया और भारतीय संस्कृति

भारत हमेशा से एक सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है। हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। भाषाओं, परंपराओं, धर्मों और जीवन मूल्यों का संगम भारत की पहचान है।

भारत केवल एक भूमि नहीं, बल्कि एक भावना है-एक संस्कार है।

राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के उपाय

1. विद्यालयों और कालेजों में ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे छात्र देशभक्ति, भाईचारे और विविधता के सम्मान को समझें।
2. युवाओ को यह सिखाया जाए कि वे फेक न्यूज, नफरत या विभाजनकारी पोस्ट न फैलाएँ।
3. राष्ट्रीय पर्वो और सामजिक अभियानों में लोगों की सक्रिय भागीदारी से एकता की भावना को जीवित रखा जा सकता है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण और सोशल मीडिया का युग हमें अवसर भी देता है और जिम्मेदारी भी देता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन साधनों का उपयोग विभाजन के लिए करते हैं या एकता के लिए।

मीनाक्षी,
कला स्नातक तृतीय वर्ष
अनुक्रमाँक 23008

Glimpses of College Activities

Glimpses of College Activities

Glimpses of College Activities

यह कोलाज प्रकृति के दो अलग-अलग रूपों - दिन और रात को दर्शाता है। पहली तस्वीर में पहाड़ धूप में हरे भरे नजर तथा जीवन से भरे नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर में पहाड़ चाँदनी की शांति में ढके हुए दिखाई देते है। जन्हाँ बादल पहाड़ियों को घेरकर रहस्यमय और शांत दृश्य बनाते है इन दोनों क्षणों को साथ रखने का उद्देश्य यह दिखाना है कि प्रकृति समय के साथ अपना रूप बदलती है। लेकिन हर रूप में यह हमें शांति व प्रेरणा देती है।

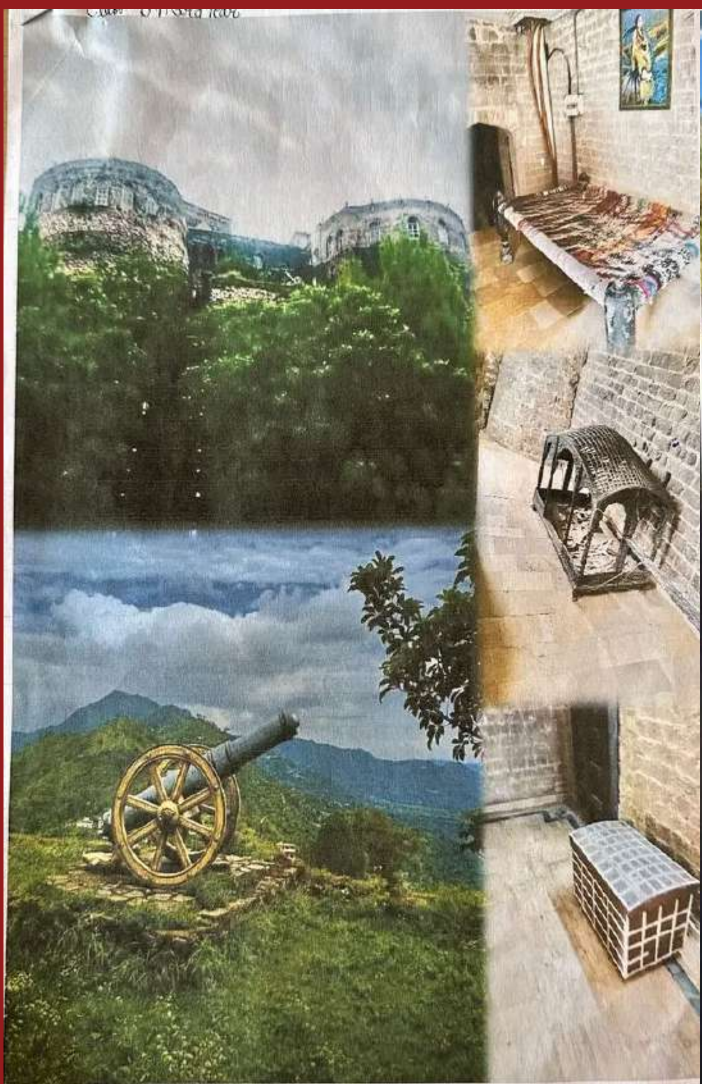

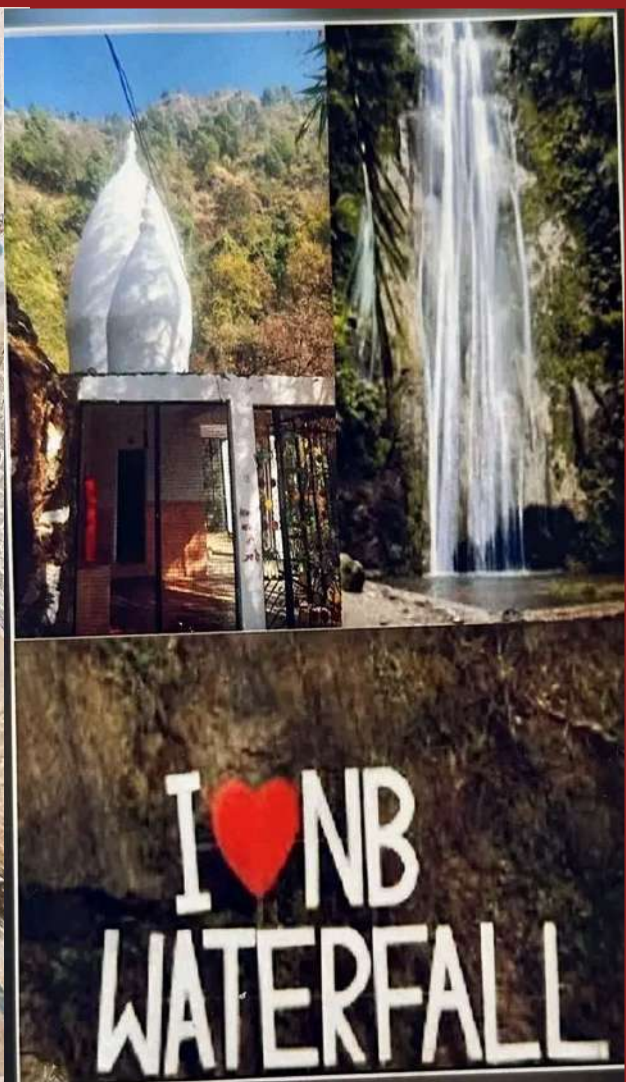

Ram Shahar Fort **Kyari NB Waterfall**

भाषा, धर्म और पहचान: राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतियां

हमारी एकता में ही देश की अखंडता है
टूटने से तो बिखर जाते है जर्रे-जर्रे
साथ रहने से हर एक बला टलती है।

भूमिका:

भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पर्वतों से लेकर मैदानों तक और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भाषा,धर्म और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसी विविधता में एकता की भावना भारत की आत्मा है परन्तु यही विविधता कभी -कभी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती भी बन जाती हैं। जब भाषा गर्व की बजाय अहंकार का कारण बन जाए जब धर्म आस्था के बजाय विभाजन का माध्यम बन जाए और जब पहचान गर्व की बजाय अलगाव का प्रतीक बन जाए तब एकता की नींव कमजोर पड़ जाती हैं।

सरदार पटेल भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले शिल्पकार :

सरदार पटेल को भारत का लौह पुरूष कहा जाता है उन्होनें स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण कर भारत को सशक्त किया। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें थीं। सरदार पटेल ने कुटनीति, साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति से इन रियासतों का भारत संघ में विलय कराया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे राज्यों के एकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका सपना था कि भारत जहाँ जातियाँ भाषाएँ और धर्म एक सूत्र में बंधे हों। सरदार पटेल की जंयती को 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य नागरिकों में एकता, अखण्डता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

राष्ट्रीय एकता का अर्थ और महत्त्व :

राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के सभी नागरिकों में समानता एकता और आपसी सहयोग को भाँपना। यह केवल राजनीतिक या भौगोलिक एकता नहीं बल्कि भावनात्मक एकता है। एकता का अर्थ केवल सीमाओं की सुरक्षा नही बल्कि भावनाओं उद्देश्यों की एकता है।

राष्ट्रीय एकता के बिना-लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। विकास रुक जाता है। समाज में आपसी अविश्वास पनपता है। इसलिए एकता ही राष्ट्र की आत्मा हैं। जहाँ एकता वहाँ शक्ति, जहाँ विभाजन वहाँ विनाश।

भाषा संवाद का माध्यम या विभाजन का कारण:

भारत में लगभग 22 अनुसूचित भाषाएं और लगभग 1600 से अधिक बोलियाँ हैं। यह विविधता हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, परन्तु कभी-कभी यह भाषाई विभाजन का कारण भी बन जाती है। भाषा दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जब हम यह कहें कि मेरी भाषा बड़ी तुम्हारी भाषा छोटी तो दरार पैदा होती है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर संघर्ष देखने को मिलता है। हिन्दी और गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के बीच दिखने को मिलता है। हिन्दी और गैर हिन्दी असमानता भी उभरती हैं। यदि भाषा को पहचान से जोड़ दिया जाए तो एकता खतरे में पड़ सकती हैं। भाषा को संघर्ष का नहीं सम्पर्क का माध्यम बनाया जाए। हर भारतीय को कम से कम तीन भाषाओं का ज्ञान - मातृभाषा, हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। सभी भाषाओं को बराबर सम्मान दिया जाए। भाषा जोड़ती है तोड़ती नहीं-यही भारत की सच्ची पहचान हैं।

धर्म और संप्रदाय की चुनौती: भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मो को सम्मान देने की परंपरा है। फिर भी समय-समय पर धार्मिक कट्टरता असहिष्णुता और दंगे राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं। धर्म राजनीति का उपकरण बन जाता है, युवा वर्ग को धार्मिक भावनाओं के नाम पर भड़काया जाता है। हम और वह की भावना राष्ट्र को हिला देती है, धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय माना जाए न कि विभाजन का आधार।

सरदार पटेल ने कहा था: भारत की शक्ति उसकी विविधता में है विभाजन में नहीं। इसलिए धर्म का संदेश, प्रेम करूणा और भाईचारा है न कि विभाजन हिंसा और नफरत।

पहचान: गर्व का प्रतीक या अलगाव की दीवार :

पहचान का अर्थ है व्यक्ति का स्वाभिमान, संस्कृति और स्थान परन्तु जब पहचान को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो विभाजन की दीवारें खडी हो जाती हैं। जातीय पहचान, क्षेत्रीय पहचान भाषा पहचान- सभी मिलकर राष्ट्र की एकता को प्रभावित करती है। हम सबकी पहचान अलग अलग है- कोई पंजाबी है कोई गुजराती कोई हिमाचली। हमें यह सोचना होगा कि पहले मैं भारतीय हूं फिर राज्य का नागरिक हूँ। पहचान को स्थानीय गौरव के रूप में स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय पहचान को सर्वोपरि रखा जाए। पहचान बहुत हैं, पर राष्ट्र एक है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एकता पर चुनौतियाँ:

भारत का इतिहास यह दर्शाता है कि जब-जब आप धर्म या जाति के नाम पर देश बँटा, तब-तब हमारी राष्ट्रीय शक्ति कमजोर हुईं ब्रिटिश काल में फूट डालो और राज करो की नीति - 1947 का विभाजन धर्म के आधार पर देश का बंटवारा इन घटनाओं से हमें यह सीख मिलती है कि विभाजन किसी का हित नहीं करता केवल विनाश लाता है। स्वतन्त्रता के बाद भी भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1950 के दशक में भाषाई राज्यों का गठन, 1984 के सिख दंगे 1992 का बाबरी मस्जिद विवाद, 2002 के गुजरात दंगे। हाल के वर्षों में सोशल मिडिया पर नफरत का प्रसार इन सबसे यह दिखाया कि राष्ट्रीय एकता केवल संविधान से नहीं बल्कि नागरिकों की सोच से बनती हैं।

आधुनिक दौर की चुनौतियाँ: सोशल मीडिया, रणनीति और भ्रामक सूचना 21वीं सदी में भाषा, धर्म और पहचान की लड़ाई अब सड़कों पर नहीं, सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। एक झूठा वीडियो एक भ्रामक पोस्ट और मिनटों में समाज दो हिस्सों में बंट जाता है। राजनीति भी इस आग में घी डालती हैं। हमें खुद यह तय करना होगा क्या हम नफरत फैलाएगें या एकता का संदेश देगे। फर्जी समाचार, धार्मिक उकसावे - भाषा पर मजाक ये सब समाज को बाँटते हैं। सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी से व्यवहार करें। अफवाहों से दूर रहें। डिजिटल एकता के अभियान चलाएं।

शिक्षा एकता का सबसे सशक्त आधार :

शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती, सोच बनाती हैं। यदि शिक्षा में राष्ट्रीयता, समानता और करूणा का बीज बोया जाए तो आने वाली पीढी स्वत: ही एकता का प्रतीक बन जाएगी। शिक्षक और युवा दोनों ही परिवर्तन के वाहक है-युवा भारत को जोड़ सकते हैं, अगर

वह हम सब एक है की भावना से काम करें। विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता सांस्कृतिक विविधता, भारतीयता पर शिक्षा दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया का प्रयोग घृणा फैलाने के लिए नहीं बल्कि सद्भाव फैलाने के लिए होना चाहिए।

निष्कर्ष:
भाषा धर्म और पहचान हमारी सांस्कृतिक धरोहर है लेकिन जब इनका उपयोग भेदभाव या विभाजन के लिए किया जाता है तो यह राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन जाती हैं। इसलिए हमें आपसी भाईचारे सहिष्णुता, समानता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना चाहिए। राष्ट्रीय एकता केवल नारे या प्रतीक नहीं बल्कि यह हमारे आचरण और विचारों में झलकनी चाहिए।

भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा, जब हम अपनी विविधता को एकता में बदलेंगे। भाषा धर्म और पहचान की दीवारें गिराकर मानवता, सद्भाव और राष्ट्रीयता की दीवार खड़ी करे। हम सबको मिलकर यह प्रण लेना चाहिए कि
धर्म अलग हो सकते हैं, भाषा बदल सकती है, पर हमारा भारत एक हैं।

एकता ही भारत की पहचान है,
विविधता ही इसकी शान है।

अत: राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को बनाए रखना हम सभी का परम कर्त्तव्य है। हमें मिल जुलकर देश की एकता, अखण्डता और भाईचारे को सदैव बनाए रखना चाहिए।

नीरज कुमार
कला स्नातक तृतीय वर्ष
अनुक्रमाँक-23009

Operation Sindoor:
भारत का आतंकवाद के प्रति पुन: परिभाषित दृष्टिकोण

प्रस्तावना:
15 अगस्त 1947 को जब भारत ने स्वतंत्रता का अनमोल उपहार पाया तब एक नई सुबह की शुरूआत हुई आज स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर हमें गर्व से यह कहना चाहिए की भारत ने न केवल आजादी हासिल की बल्कि अपने संकल्प को सशक्त करने के लिए आतंकवाद के विरूद्ध अपनी नीतियों को भी नए स्वरूप में परिभाषित किया है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक पड़ाव है ऑपरेशन सिंदूर।

ऑपरेशन सिंदुर का सार:
7 मई, 2025 की आतंकवादी हमले (पहलगाम हमला) के उत्तर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू की गई एक संयोजित और सटीक प्रतिक्रिया थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना ने सम्मिलित होकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में फैले 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। जो लश्कर-ए-ताइबा एवं हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। इस कार्यवाही का नाम 'सिंदूर' इसलिए रखा गया क्योंकि यह उन पीड़ितों विशेष रूप से माताओं और बहनों के साथ सहानुभुति की निशानी थी।

राजनीतिक निष्पादन और संयम: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक मुख्य कारण था उच्च तकनीकी क्षमता और स्पष्ट राजनीतिक समर्थन। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि यह ऑपरेशन बिना किसी बाहरी पाबंदी के संचालित हुआ अर्थात् यह पूरी तरह नेतृत्व के स्पष्ट निर्देशों और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर आधारित था।

उन्नत तकनीकी मंचों जैसे SCALP क्रूज मिसाईल प्रिसिजन-गाईडेड, बॉम्ब, ब्रह्मोस, MRSAM, D4 आकाश, एंटी-ड्रोन सिस्टम, AWACS का इस्तेमाल इस संचालन में किया गया जो भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीकी क्षमताओं का प्रमाण है। यह ऑपरेशन केवल आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने तक सीमित नहीं रहा भारत ने अपनी सीमाओं और सैन्य प्रतिष्ठानों के लिए संयमित और निश्चित ढंग के कार्य किया।

परिणाम और संदेश: ऑपरेशन सिंदूर की कार्यवाही ने आतंकवादी नेटवर्क को गहराई से क्षति पहुंचाई। 100 से अधिक आतंकवादी निष्क्रिय किए गए जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख नेता अब्दुल रउफ अजहर भी शामिल थे। इनमें अल्पकालीन ही नहीं व्यापक रूप से समर्थनकारी आतंकवाद भी एक स्पष्ट संदेश दिया कि भारत सहन नहीं करेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अभियान को टेरर के खिलाफ एक नए मापदंड और नई नीति, के रूप में वर्णित किया एक ऐसी नीति जहाँ हम न केवल हमला करेंगे, बल्कि आतंकवाद की जड़ों तक पहुंचकर उसे मिटा देंगें। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि आंतकवाद पाकिस्तान का सहारा प्राप्त कर रहा है, और भारत उसके समर्थन को ना केवल पहचानता है बल्कि इसका जबाब भी सटीक और निर्णायक रूप से दे रहा है।

निष्कर्ष: स्वतन्त्रता दिवस भारत को याद दिलाता है कि हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आत्मा में भक्ति होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर एक साहसी, न्यायसूचक, और संयमित कारवाई दर्शाता है कि भारत आतंकवाद के प्रति "शून्य सहिष्णुता नीति" अपनाने के साथ साथ उसे दंड तथा निवारण की अपनी संकल्पित रणनीति को भी स्पष्ट कर चुका है। यह उस नए युग का प्रतीक है जहाँ आतंकवाद न केवल अपराध है, बल्कि हमारे स्वतन्त्रता की भावना और भविष्य की तकदीर के प्रति सीधी चुनौती है और हम उसका जबाब उसी दृढ़ता से देते हैं।

पूनम देवी
कला स्नातक-द्वितीय वर्ष
अनुक्रमाँक- 24015

आपरेशन सिंदूर

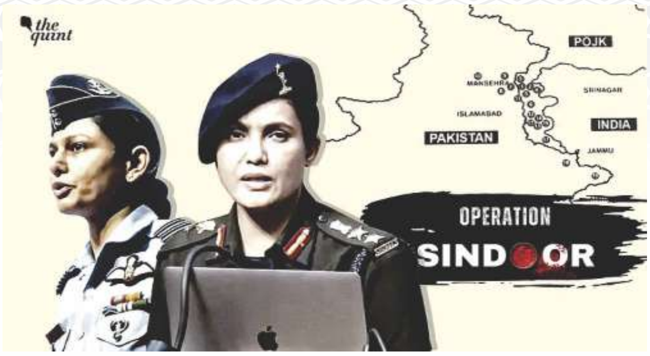

कश्मीर की धरती को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इस कश्मीर में स्थित पहलगाम को भारत का ''मिनी स्विजरलैंड'' कहा जाता है। पहलगाम हरे-भरे घास के मैदानों से भरी एक सुन्दर जगह है। देश - विदेश से पर्यटक यहाँ की सुन्दरता को देखने के लिए आते है। 22 अप्रैल, 2025 दिन मंगलवार को भी यहाँ पर्यटकों की भीड़ थी। सभी लोग सैर का आनन्द ले रहे थे। अपने परिवार के साथ आये बहुत से पर्यटक अपनी तस्वीर ले रहे थे और कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ लोग पुलिस की वर्दी में आते हैं और पर्यटकों से पूछते हैं कि क्या तुम हिन्दू हो, यदि हिन्दू नहीं हो और मुसलमान हो तो कलमा पढ़ कर सुनाओ। जब पर्यटकों ने कहा उन्हें कि कलमा पढ़ना नहीं आता है तो पुलिस वर्दी में आये आतंकवादियों ने उनके सिर में गोली मार दी। महिला पर्यटक ने कहा हमारे पति को मार दिया, हमें भी मार दो परन्तु उन्होंने कहा ''तुम्हे नहीं मारेंगे जाओ, जा कर मोदी से बोलो''। पल भर में ही आनन्द के पल गहरे शोक में बदल गए। हर तरफ लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। बच्चों के सामने उनके पिता और महिलाओं के सामने उनके पति मृत अवस्था में थे कुल 27 लोग इस हत्याकांड में मारे गए और लगभग इतने ही लोग घायल हो गए। धर्म पूछकर किये गए इस हत्याकांड की हर किसी ने घोर निन्दा की। भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि जो भी इस जघन्य कृत्य का दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसका पीछा धरती के अंतिम छोर तक किया जाएगा। यह हमला 22 अप्रैल को हुआ था और उस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन (टी. आर. एफ.) ने ली। अब ये साफ हो गया कि ये हमला पाकिस्तान द्वारा करवाया गया है। भारत देश की जाँच एजेंसी (एन.आई.ए.) राष्ट्रीय अन्वेशन अभिकरण ने भी जब इस हमले की जाँच की तो पाकिस्तान को इस कृत्य में शामिल पाया। तत्काल प्रभाव से भारत सरकार की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए :

1. सिंधु नदी जल समझौते को रोक दिया गया।
2. अटारी बार्डर (अमृतसर पंजाब) में आवाजाही को बंद कर दिया गया।
3. सभी पाकिस्तान नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया और उन सभी को 48 घंटों में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया।
4. भारत के सभी पाक सैन्य सलाहकारों को अवांछित घोषित किया गया। उन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ने के लिए कहा गया। भारत ने भी अपने सैन्य सलाहकार वापिस बुला लिए।
5. भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मियों की कुल संख्या को घटाकर 55 से 30 कर दिया गया। भारत देश का प्रत्येक नागरिक इस हमले से दुखी था। सभी जगह एक ठोस कार्यवाही की माँग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। जिन माताओं, बहनो और बेटियों का सिंदूर मिटाया गया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ रही थी। प्रदर्शकारियों द्वारा पाकिस्तान के झण्डों को जलाया जा रहा था। भारत सरकार पर जनता के आक्रोश का दबाब था। सरकार द्वारा मीटिंग करके तीनों सेनाओं (जल, थल, वायु) को आदेश जारी किया गया। उन आतंकवादियों की मदद करने वालों की पहचान की गई और उनके घरों को विस्फोट से उड़ा दिया गया। बार्डर पर सेना ने युद्ध अभ्यास शुरू किए। वह देशभर में युद्ध को लेकर कई प्रकार की गाईडलाईन जारी की गई है। सीमावर्ती इलाके में मॉक ड्रिल की गई और जनता को युद्ध की स्थिति का अभ्यास करवाया गया। ब्लैकआऊट की रिहर्सल की गईं फाइटर जैट ने अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया।

6 और 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 तक तीनों सेनाओं के साझा अभियान के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के नौ ठिकानों पर हमला करके उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम ''ऑपरेशन सिंदूर'' रखा गया। मात्र 25 मिनट में 24 मिसाइलों से सटीक हमला किया गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालयों समेत आतंकी प्रशिक्षण के नौ मरकजों को मिट्टी में मिला दिया गया। इन हमलों में 100 से अधिक ज्यादा आतंकी मौत की नींद सो गए। इस ऑपरेशन को भारत देश की दो महिला पायलट ने लीड किया। कर्नल सोफिया कुरैशी और बिंग कमांडर व्योमिका सिंह। अगले दिन 7 मई को मीडिया को बताया गया कि यह कार्यवाही नपी-तुली, गैर बढ़ावा देने वाली, अनुपातिक और जिम्मेदारना थी। इस कार्यवाही का उद्देश्य आतंकी ढाँचे को निष्क्रिय करना था। हमले में किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान व आम जनता को कोई नुकसान (क्षति) नहीं पहुंचाई गईं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसे देश के लिए गर्व का पल बताया। रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया, जैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विनाश करने के बाद कहा था कि '' जिन मोहि मारा ते मोहि मारा'' अर्थात् मैंने केवल उन्हीं को मारा है जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जोर देकर कहा कि यह कार्यवाही 25 अप्रैल को सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में पहलगाम हमले के कारण जारी बयान को भावना के अनुरूप है हमें यह संकेत मिला था कि भारत पर आगे भी हमले हो सकते हैं अत: इसे रोकना और इनसे निपटना दोनों बेहद आवश्यक समझा गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उसे मिट्टी में मिला देंगे जो भी भारत देश पर हमला करेगा। भारत की ताकत सिर्फ हथियार नहीं है, एकता भी है।

जय हिन्द।

दीपिका पंवर
कला स्नातक- प्रथम वर्ष
अनुक्रमाँक-25019

'डिजिटल तकनीक और लोकतंत्र'

डिजिटल तकनीक से लोकतंत्र को खतरे :

1. फेक न्यूज और गलत सूचना: सोशल मीड़िया पर तेजी से फैलने वाली अफवाहें, गलत सूचनाएं और भ्रामक वीडियों लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करती हैं।

उदाहरण- चुनावों के दौरान फर्जी वीडियो और मैसेज से मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश होती है।

2. डेटा निजता का उल्लंघन: आज नागरिकों का डाटा विभिन्न ऐप्स वेबसाइट द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। इसकी निगरानी और दुरूपयोग लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को चुनौती देता है।

3. निगरानी और सेंसरशिप: कुछ सरकारें डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग नागरिकों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और असहमति को दबाने के लिए करती है इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा होता है।

4. डिजिटल डिवाइड: आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग विशेषकर ग्रामीण, निर्धन, अशिक्षित और महिलाएँ - डिजिटल ससाधनों से वंचित हैं, इससे लोकतांत्रिक भागीदारी असमान होती है।

प्रस्तावना :

लोकतंत्र का मूल आधार जनता की सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता जवाबदेही और सूचना की स्वतंत्रता है। 21 वीं शताब्दी में डिजिटल तकनीक ने इन सभी स्तंभों को न नेवल प्रभावित किया है, बल्कि लोकतंत्र की परिभाषा को एक नया आयाम भी दिया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, आर्टीफिशियल इंटीलिजेंस, मोबाइल टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स जैसे उपकरणों ने राजनीतिक भागीदारी, सूचना, के आदान-प्रदान और नीति-निर्माण तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है।

डिजिटल तकनीक : लोकतंत्र का नया आधार - डिजिटल तकनीक लोकतंत्र को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित करती है।

1. सूचना हम तक पहुंच: इंटरनेट और मोबाइल फोन की मदद से आज आम नागरिक, किसी भी विषय पर जानकारी पा सकते हैं। लोकतंत्र में जानकारी की स्वतंत्रता ही नागरिकों को सशक्त बनाती है ताकि वे सरकार की नीतियों और कार्यो की आलोचना कर सकें।

उदाहरण: RTI (सूचना का अधिकार) अधिनियम और डिजिटल पोर्टल्स जैसे My Gov, RTI Online आदि ने नागरिकों को सरकार के करीब लाया।

2. राजनीतिक भागीदारी: डिजिटल प्लेटफार्म्स, जैसे Facebook, X, Instagram. Youtube and Whatsapp पर चुनावी प्रचार और राजनीतिक बहस, ऑनलाइन मतदान अभियान आदि से लोगो की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है।

3. ई-गवर्नेस: डिजिटल इंडिया जैसे कायक्रमों के माध्यम से सरकार ने सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई है। अब कई नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं जैसे राशन कार्ड आधार पेंशन योजना, सब्सिडी शिकायत निवारण आदि।

4. चुनावी प्रक्रिया में तकनीक: ईवीएम, (EVM, VVPAT) ऑनलाइन मतदाता सूची डिजीटल निगरानी कैमरे आदि ने चुनावों को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में मदद की है।

सुझाव:

1. निजता से संबंधित मजबूत कानून।
2. फेक न्यूज के लिए डिजिटल साक्षरता और फैक्ट -चेकिंग तंत्र को मजबूत किया जाए।
3. सभी के लिए सस्ती इंटरनेट सुविधा और डिजिटल, उपकरणों की पहुँच सुनिश्चित् की जाए।
4. AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं के सुधार में हो न कि जनमत को प्रभावित करने के लिए।

निष्कर्ष:

डिजिटल तकनीक ने लोकतंत्र को गति और व्यापकता दी है। अब कोई भी नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है। नीतियों और भागीदारी कर सकता है और अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकता है।

अंजना देवी,
कला स्नातक तृतीय वर्ष
अनुक्रमाँक 23020

डिजिटल तकनीक और लोकतन्त्र

प्रस्तावना:

लोकतन्त्र को सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना गया है। यह एक ऐसी व्यवस्था हैं जिसमें जनता सर्वोच्च होती है और सरकार जनता द्वारा चुनी जाती हैं। लोकतंत्र का मूल आधार पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिको की सक्रिय भागीदारी हैं। 21वीं सदी सूचना और प्रोद्योगिकी की सदी हैं। इंटरनेट, मोबाइल सोशल मीडिया कृत्रिम बुद्धिमता और ई-गवर्नेस जैसे साधनों ने लोकतांत्रिक जीवन को नई दिशा दी है। आज एक साधारण नागरिक भी अपने स्मार्टफोन से सरकार को चुनौती दे सकता है। सवाल पूछ सकता है और अपने विचारों को वैश्विक स्तर पर पहुँचा सकता है।

आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो डिजिटल तकनीक को नजर अंदाज नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 66 प्रतिशत आबादी इंटरनेट से जुड़ चुकी है। भारत में 2025 में TRAI के आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 85 करोड़ से अधिक हो चुकी हैं। यह सीधे-सीधे लौकतन्त्र में तकनीक की बढ़ती भूमिका को दर्शाता हैं।

लोकतन्त्र और डिजिटल तकनीक का परस्पर संबंध: लोकतन्त्र और तकनीक का रिश्ता गहरा है। प्राचीन समय में लोकतन्त्र केवल सीमित जनता तक सिमटा था। लेकिन आज तकनीक ने सूचना को हर नागरिक तक पहुंचाना संभव बनाया। इससे शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही आईं इस प्रकार कहा जा सकता है कि तकनीक लोकतन्त्र की नई धड़कन बन गई हैं।

डिजिटल तकनीक से सरकार और जनता के बीच दूरी घटी है। नागरिकों को अब सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि नीतिनिर्माण में भी उनकी भूमिका बढ़ी है। सूचना शक्ति है और जब यह शक्ति जनता के होथों में जाती है तो लोकतन्त्र और मजबूत होता हैं।

डिजिटल तकनीक के सकारात्मक प्रभाव :

आज इंटरनेट के माध्यम से कोई भी नागरिक आसानी से सरकार की योजनाओं, नीतियों और निर्णयों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता हैं RTI ऑनलाइन पोर्टल और सरकारी वैबसाईटें जनता को जागरूक बनाती हैं। भारत में डिजिटल इंडिया, अभियान ने ई-गवर्नेस को मजबूत किया। आधार डिजिटल, कर, UPI, ई-पंचायत, ई-कोर्ट जैसी योजनाओं जनता का जीवन पारदर्शी बनाया है। डिजिटल प्लेटफार्म My Gov Portal नागरिकों को सीधे सुझाव देने का अवसर देते हैं हैं। इससे लोकतन्त्र और अधिक सहभागी बनता हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म जनमत निर्माण का प्रमुख साधन बन गए हैं। चुनाव अभियानों में सोशल मीडिया की भूमिका निर्णायक हो चुकी हैं। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल अभियानों ने नागरिकों में लोकतान्त्रिक मूल्यों को सशक्त किया। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएँ डिजिटल प्लेटफॉर्म से जन-जन तक पहुंची। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं ने रिश्वतखोरी को कम किया है। सरकारी लेन-देन की पारदर्शिता में बढ़ोतरी हुई है MyGov पोर्टल में अब तक 3 करोड़ से अधिक नागरिक सुझाव दे चुके हैं। यह प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का डिजिटल स्वरूप हैं।

लोकतन्त्र के लिए डिजिटल, तकनीक की चुनौतियाँ :

सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएँ तेजी से फैलती हैं जिससे दंगे अफवाह और चुनावी हेरफेर जैसी समस्याएँ बढ़ती हैं। नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने से लोकतंत्र पर संकट आता है। हैकिंग डेटा माइनिंग गंभीर समस्या है। ग्रामीण और शहरी, अमीर और गरीब, पढ़ें-लिखे और अशिक्षित के बीच तकनीकी खाई मौजूद हैं। इससे लोकतंत्र में असमानता बनी रहती हैं। कई बार सरकार और निजी कंपनियाँ नागरिकों का डाटा बिना अनुमति के उपयोग करती हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा है। सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषण और लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करते है। और बिगडाटा एनालिटिक्स चुनाव अभियानों में इस्तेमाल होकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहें हैं इससे लोकतन्त्र की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। नीति आयोग 2023 के अनुसार ग्रामीण भारत की केवल 37 प्रतिशत आबादी इंटरनेट से जुड़ी है। डिजिटल असमानता लोकतांत्रिक सहभागिता को कमजोर करती है। सुप्रीम कोर्ट (2017) पुदूस्वामी बनाम भारत संघ केस में निजता को किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखने का, अपने जीवन के निर्णय लेने और दूसरों के अनावश्क हस्तक्षेप से खुद को बचाने की क्षमता है। यह मौलिक मानवाधिकार है इसके बाबजूद डेटा सुरक्षा कानून अभी भी कमजोर है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हेट स्पीच और ट्रोलिंग लोकतांत्रिक संवाद को बाधित करते हैं।

विश्व और भारत के संदर्भ में डिजिटल लोकतन्त्र:

डिजिटल इंडिया अभियान ने ग्रामीण भारत तक तकनीक पहुंचाई है आधार और UPI ने पारदर्रिशता बढाई RTI पोर्टल और ई-गवर्नस से नागरिकों की भागीदारी बढ़ी है, ''डिजिटल इंडिया, आधार UPI और E-Governance को डिजिटल लोकतंत्र की रीढ़ कहा जा सकता हैं। ''भारत सबसे बढ़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की की राह पर है। 2016 के अमेरिकी चुनाव में सोशल मीडिया का दुरुप्रयोग सामने आया। यूरोपीय संघ (Genercal Data protection Regulation) कानून से नागरिकों की डिजिटल गोपनीयता सुरक्षित की। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में डिजिटल सहयोग रिपोर्ट जारी की। इंटरनेट को मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने की चर्चा जारी हैं। चुनाव अभियानों में सोशल मीडिया निर्णायक भूमिका निभा रहा है। लेकिन वही फेक न्यूज, लोकतन्त्र के लिए चुनौती हैं।

डिजिटल लोकतंत्र को मजबूत करने के उपाय:

साइबर सुरक्षा साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन कानूनों का कड़ा पालन, ग्रामीण भारत में इंटरनेट और सेवाओं का विस्तार। डिजिटल साक्षरता अभियान ताकि हर नागरिक तकनीक का सही उपयोग कर सके। सोशल मीडिया पर पारदर्शी एल्गोरिक और फेक न्यूज रोकने के लिए स्वायत्त निकाय। तकनीक और नैतिकता को संतुलित विकास, सभी भाषाओं और हामवायों के दिए डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराना। वंचित वर्ग तक इंटनेट और तकनीक को उपलब्ध कराना सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाना, फेक न्यूज पर नियंत्रण- तथ्य जाँच तंत्र को मजबूत करके डिजिटल लोकतन्त्र को मजबूत किया जा सकता है।

भविष्य की संभावनाएँ तथा राह:

ई-वोटिंग से चुनाव अधिक पारदर्शी और सुगम होंगे। ब्ल,कचेन आधारित मतदान प्रणाली भ्रष्टाचार और धांधली को खत्म कर

सकती है। आधारित नीति-निमार्ण वास्तविक जरूरतों पर आधारित को खत्म कर सकती है। लोकतांत्रिक नीतियां बनाएगा।

निष्कर्ष डिजिटल तकनीक और लोकतंत्र एक जटिल सह-अस्तित्व साझा करते हैं, जहाँ नवाचार और जोखिम साथ-साथ चलते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि जहाँ हम इन प्रौद्योगिकियों का बुद्धिमानी से उपयोग करें, ताकि उनके लाभों को अधिकतम किया जा सके और नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। इसलिए यह आवश्यक हैं कि तकनीक को मानवता और नैतिकता की सेवा में लगाया जाए। यदि सरकार, नागरिक और तकनीकी संस्थाएं मिलकर सही दिशा में काम करें तो डिजिटल तकनीक लोकतंत्र को और अधिक सशक्त और पारदर्शी बना सकते है। ''सच्चा लोकतन्त्र वही है, जिसमें तकनीक मानवता और नैतिकता की सेवा में प्रयुक्त है।''

नीरज कुमारी
कला स्नातक तृतीय वर्ष
अनुक्रमाँक 23009

डिजिटल प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र

भूमिका:

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने 20वीं और 21वीं सदी के सार्वजनिक जीवन, राजनीति और नागरिक सहभागिता के स्वरुप को गहराई से बदल दिया है। सूचना के त्वरित आदान - प्रदान, सोशल मीडिया, मोबाइल इंटरनेट और डेटा-विश्लेषण ने लोकतंत्र के पारंपरिक तंत्रों (चुनाव, मीडिया, नागरिक बहस पर बड़ा प्रभाव डाला है। वर्तमान युग में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार या संचार हो। डिजिटल युग की छवि सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार लोकतंत्र, जो जनता की संप्रभुता, विचार-विमर्श और निर्णय-निर्माण पर आधारित शासन है, जो डिजिटल तकनीक के प्रभाव से अभूतपूर्व रुप से प्रभावित हो चुकी है। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने लोकतंत्र को अधिक प्रभावशाली और सहभागी बनाया है।

लोकतंत्र की अवधारणा और उसके मूल तत्व :

1. लोकतंत्र का तात्पर्य: लोकतंत्र, ग्रीक शब्द "Demos" और " Kratos" से व्युत्पन्न है जिसका शब्दिक अर्थ होता है जनता की सता। यह शासन तंत्र समाज में शक्ति वितरण की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नागरिकों की होती है। लोकतंत्र न केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया है, बल्कि यह एक सामाजिक- राजनीतिक व्यवस्था है जो नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित होती है। लोकतंत्र की आत्मा में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जवाबदेही, और विचार-विमर्श की संस्कृति निहित है। यह विचारों का मुक्त आदान-प्रदान, आलोचना और नीतिगत सुधार को प्रोत्साहित करता है। आज के युग में, लोकतंत्र के ये तत्व डिजिटल माध्यमों के सहयोग से और भी सशक्त हुए है। नागरिक अब पारंपरिक रूप से सीमित होकर सरकार की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग ले सकते हैं।

2. सशक्त डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकास और स्वरूप:

डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकास केवल गणना और सूचना प्रसंस्करण के लिए था। परंतु समय के साथ इंटरनेट और स्मार्टफोन के आगमन ने इसे व्यापक बना दिया। आज के युग में क्लाउड कम्प्यूटिंग, सोशल मीडिया और बड़े डेटा जैसी तकनीकें शासन तंत्र के हर पहलू को प्रभावित कर रही हैं।

इन तकनीकों ने सूचना के आदान-प्रदान को गति दी, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया और नागरिकों को सरकार तक पहुँचने का सहज माध्यम उपलब्ध कराया।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के लोकतंत्र पर सकारात्मक प्रभाव:

डिजिटल तकनीक ने लोकतंत्र को नए आयाम दिए है।

1. नागरिक सहभागिता: सबसे पहले, नागरिक सहभागिता का स्वरूप बदल गया है। इसने इसे केवल देश के अंदर सीमित नहीं रखा, बल्कि वैश्विक स्तर पर नागरिक सहभागिता को भी सशक्त बनाया है। अंन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलनों जैसे एमेंसटी इंटरनेशनल और ग्लोब विटनेस ने डिजिटल प्लेटफार्म्स के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जन जागरुकता और सरकारों पर दबाव बनाने का काम किया।

2. पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि : पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रक्रिया सशक्त हुई है। सरकारी निर्णय, नीति दस्तावेज, योजना प्रगति रिपोर्टस आदि अब ऑनलाइन उपलब्ध है।

3. सूचना का त्वरित आदान-प्रदान: डिजिटल तकनीक ने सूचनाओं को त्वरित, व्यापक और सुलभ बना दिया। इससे नागरिक तुरंत सरकारी अपडेट, नीति परिवर्तन कानून संशोधनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

4. नवाचार और प्रशासनिक दक्षता: डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में स्वचालन और दक्षता आई है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव:-

1. गलत सूचना का वैश्विक फैलाव: डिजिटल प्लेटफार्म्स पर झूठी सूचनाओं का वैश्विक प्रसार लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है।

2. निजता का संकट: विश्व स्तर पर बड़ी कंपनियों और सरकारों द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग बढ़ा है। डिजिटल प्लेटफार्म्स पर व्यक्तिगत डेटा का विशाल संग्रहण और उसका दुरुपयोग नागरिकों के निजता अधिकारों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। डेटा के असुरक्षित संग्रहण से न केवल निजता प्रभावित होती है, बल्कि इसका उपयोग वाणिज्यिक या राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी होता है।

3. विभाजन की समस्या: डिजिटल विभाजन की समस्या भी वैश्विक लोकतंत्र के समक्ष गम्भीर चुनौती है। सभी नागरिकों को समान डिजिटल संसाधनों और तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है।

4. एल्गोरिदम पूर्वाग्रह का खतरा : अंततः एल्गोरिदम पूर्वाग्रह का खतरा भी विद्यमान है। एल्गोरिद्घ्म पर आधारित निर्णय प्रणाली यदि सही ढंग से डिजाइन नहीं की गई तो सामाजिक भेदभाव और पक्षपात की स्थिति उत्पन हो जाती है।

भारत का परिप्रेक्ष्य:

भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से ई-गवर्नेंस, नागरिक सशक्तिकरण और डिजिटल नवाचार को प्राथमिकता दी है। My Gov in, UMANGApp , e- court

system और Government Data Portal जैसे डिजिटल लोकतंत्र का आधार बन चुकी है। BNSS 2023 ने डिजिटल प्रौद्योगिकी को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से जोड़ा है। इसके तहत नागरिकों को डिजिटल सेवा का अधिकार और डिजिटल साक्षरता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

भारत में सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल साक्षरता की कमी और ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल समावेशन की प्रक्रिया अभी अधूरी है।

वैश्विक दृष्टिकोणः

अमेरिका ने Digital RightsAnd Responsibilities Act के माध्यम से डेटा सुरक्षा व डिजिटल अधिकारों को सुनिश्चित किया है। यूरोपीय संघ ने GDPR लागू कर निजता की सुरक्षा को मजबूत बनाया है। दक्षिण कोरिया की अत्यंत विकसित ई–गवर्नेंस प्रणाली में सरकारी सेवाओं को डिजिटली सहन और नागरिक केंद्रित बनाया है।

इन देशों का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि डिजिटल तकनीक और लोकतंत्र का सामंजस्य तभी सम्भव है, जब तकनीकी नवाचार मानवाधिकारों के संरक्षण और पारदर्शिता के सिद्धांत के साथ हो।

डिजिटल प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ:

1. **साक्षरता की असमानताः**
   वैश्विक परिप्रेक्ष्य में डिजिटल तकनीक से संबंधित प्रमुख, चुनौती डिजिटल साक्षरता की असमानता है। सभी देशों के नागरिकों को डिजिटल उपकरणों का सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी सीमित रह जाती है।
2. **डेटा सुरक्षा अधिनियमों का अभाव**
   दूसरी चुनौती डेटा सुरक्षा अधिनियमों का अभाव है। विश्व के कई देशों में निजता संरक्षण के लिए आवश्यक कड़े कानून नहीं है। इससे व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है।
3. **साइबर सुरक्षा की कमीः**
   डिजिटल दुनिया में साइबर अपराध, हैकिंग, डेटा चोरी जैसी घटनाएँ लोकतंत्र को अस्थिर कर देती है यह न केवल नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों के लिए खतरा बनता है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी असर डालता है।

समाधानः

इन चुनौतियों का समाधान राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रणनीतियों के माध्यम से किया जा सकता है। सबसे पहले डिजिटल साक्षरता पर जोर देना आवश्यक है सरकारें और अंन्तराष्ट्रीय संगठन इस दिशा में व्यापक अभियान चलाएं ताकि हर नागरिक डिजिटल उपकरणों व सेवाओं को समझ सके।

दूसरा समाधान, डेटा सुरक्षा कानूनों को प्रभावी और कड़ा बनाना है। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नियम और कडे दण्ड सुनिश्चित करने वाले कानून बनाए जाए।

साइबर सुरक्षा उपाय भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा नीतियाँ बनाई जाए।

डिजिटल समावेश नीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते इंटरनेट सुलभ स्मार्टफोन और सार्वजनिक डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल पहुँच सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष

वैश्विक परिपेक्ष्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने लोकतंत्र को गहराई, पारदर्शिता और सशक्तिकरण की दिशा में विकसित किया है। नागरिक अब केवल सत्ता के चयनकर्ता नहीं, बल्कि शासन की प्रक्रिया के सक्रिय सहभागी बन चुके हैं। परंतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ झूठी सूचना, निजता संकट डिजिटल विभाजन और एल्गोरिदम पूर्वाग्रह जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई है। इन समस्याओं का समाधान डिजिटल साक्षरता अभियान, मजबूत डाटा संरक्षण कानून, साइबर सुरक्षा उपाय, डिजिटल समावेश नीति और एल्गोरिदम जवाबदेही के माध्यम से संभव हो सकता है।

यदि वैश्विक समुदाय सही दिशा में सहयोग करते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी का न्यायपूर्ण उपयोग करेगा, तो भविष्य अत्यंत उज्ज्वल होगा।

दीक्षा कुमारी
कला स्नातक तृतीय वर्ष
अनक्रमाँक–23004

लोकतंत्र के सदर्भ मे मीडिया की भूमिकाः–

भूमिकाः

विश्व के कई देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है जैसे भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। ऐसी शासन प्रणाली जहाँ जनता की इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए है जिसके द्वारा नागरिक अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शैली है जिसमें समानता, स्वतन्त्र, बंधुत्व और न्याय जैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है।

26 जनवरी 1950 को सविधान लागू हुआ इसलिए यह यह दिन गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिर्फ उत्सव ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों–अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की याद दिलाता है। मीडिया इन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने, उनकी रक्षा करने और आलोचनात्मक निगरानी करने का मुख्य साधन है। गणतंत्र दिवस पर मीडिया का काम न केवल परेड और कार्यक्रम दिखाना है वल्कि सविंधानिक आदर्शो पर बहस, आलोचना और जागरुकता भी फैलाना है।

मीडिया के प्रमुख कार्य–

1. **सूचना देने वाला एर्जेट :** नागरिकों को सरकारी नीतियों चुनावी घोषणाओं, न्यायिक फैसले, सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय समस्याओं की सही और समय पर जानकारी प्रदान करना। एक सूचित नागरिक ही विवेकी निर्णय ले सकता है।
2 **निगरानी और जवाबदेहीः** मीडिया भ्रष्टाचार, दुरुपयोग, अनियमितताओं और शक्ति के गलत उपयोग को उजागर कर

शासन तंत्र को जबावदेह बनाता है। investigative journalism (खोजी पत्रकारिता) का यह काम लोकतंत्र के लिए अहम है- इससे नीतिगत सुधार और पारदर्शिता आती है।

3 **सार्वजनिक विमर्श का मंच :** हथकडों और हितों ऊपर उठकर मीडिया बहस, विमर्श और बहुलता के लिए जगह बनता है विभिन्न विचारों, विपक्ष और नागरिक आवाजों को सामने लाता है।

4 **एजेंडा - सेरिंग फ्रेमिंग और फ्राइमिंग:** मिडिया यह तय करने में भूमिका निभाता है कि कौन से विषय चर्चा में आए, किसी घटना को किस नजरिये से पेश किया जाए और जनता की प्राथमिकता को कैसे प्रभावित किया जाए?

5 **राजनीतिक सामाजिकरण और नागरिक शिक्षा**
मीडिया नई (युवा) पीढ़ी को राजनीतिक प्रक्रियाओं, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देता है- चुनावों में भागीदारी, मतदान का महत्व कानून और संविधान की समझ इत्यादि।

6 **सामवेश और आवाज :** सामाजिक अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग अथवा हाशिये पर खड़े समूहों की समस्याओं को सामने लाकर समावेशन को बढ़ावा देता है।

7 **आपातकालीन सूचना व समन्वय :** प्राकृतिक आपदा महामारी या सुरक्षा संकट के समय सूचना का त्वरित संप्रेषण लोगों की सुरक्षा के लिए निर्णायिक होता है।

सोशल मीडिया का प्रभाव

- **जानकारी का प्रसार**

सोशल मीडिया में जानकारी को प्रसार को आसान बना दिया है है, जिससे जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता चलता है।

- **जनता की भागीदारी**

सोशल मीडिया में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया है जिससे वे अपने विचारों और राय को व्यक्त कर सकते हैं।

- **जवाबदेही**

सोशल मीडिया ने सरकार और नेताओं को जवाबदेह बनाने में मदद की है, जिससे वे जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं।

गणतंत्र दिवस पर मीडिया का विशेष योगदान और जिम्मेदारी:

- परेड व उत्सवों का प्रसारण करके राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक गौरव का प्रचार।
- संविधानिक मूल्यों पर बहस और दिल्ली राज्यस्तरीय अनुमोदन पर जन-2 तक जानकारी पहुँचाना।
- नागरिक अधिकारों, आरक्षण, सामाजिक न्याय आदि पर विश्लेषण प्रस्तुत कर संवैधानिक विमर्श को जागृत रखना।
- सरकार की योजनाओं पर समालोचना और उनकी प्रभावशीलता की रिपोर्टिंग - ताकि लोकतंत्र के दैनिक कामकाज पर ध्यान दिया जाए।

डिजिटल युग- नए अवसर और चुनौतियाँ

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म ने सूचना पहुंच और नागरिक सहभागिता को तेज रास्ता और व्यापक बना दिया है।
नागरिक पत्रकारिता ने पारंपरिक मीडिया की सीमाओं को चुनौती दी जैसे लोकल घटनाएं तुरंत वायरल होती है।

नेहा देवी
कला स्नातक द्वितीय वर्ष
अनुक्रमाँक 24023

लोकंतत्र की मजबूती में युवा नागरिकों की भूमिका

भूमिका:

आज के युवा किसी भी पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से कुशल हैं। वे तेजी से तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण के युग में बड़े हुए है। आज के युवा भारतीय बदलाव और जबावदेही की मांग के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे है। भारतीय युवा ऐसे समाधान बनाने में सबसे आगे है जो स्थानीय और वैश्विक दोनों चुनौतियों का समाधान करते है। आजकल के युवाओं की नागरिक समाज में भूमिका बहुत महत्तवपूर्ण है। वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

सामाजिक परिवर्तन :

युवा समाजिक मुद्दों जैसे दहेज प्रथा, बाल-विवाह, लैंगिक असमानता भ्रष्टाचार और पर्यावरण संरक्षण पर अपनी आवाज उठा रहे है। वे समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ रहे है और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं। युवा राष्ट्र निर्माण, देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास और समाजिक प्रगति कर सकते है।

राजनीतिक भागीदारी :-

युवा मतदान के माध्यम से ईमानदार और विकास परक सोच वाले प्रतिनिधि को चुनने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। वे चुनावी राजनीति में सक्रिय भागीदारी करके देश के भारतीय भविष्य को आकार दे सकते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य:

युवा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी महत्तवपूर्ण भूमिका निभा सकते है वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करके देश के विकास के योगदान कर सकते हैं।

भारत देश के युवा :

हमारे देश का युवा आज के समय में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है हमारे देश के कई लोग आज विदेशों में भारत का नाम ऊंचा कर रहे है। देश का युवा काफी आगे बढ रहा है। यही कारण है कि हमे इतने अच्छे डॉक्टर इंजिनियर और वैज्ञानिक भारत में पैदा हो रहे हैं।
कोरोना जैसी बीमारी के लिए हम जिस वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे है वो भी भारत के डॉक्टर व वैज्ञानिकों ने ही बनाई है। भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। देश के युवा भी इसके जोर शोर से हिस्सा ले रहे है। देश के भारतीय आन्तरिक अनुसाधन केंद्र में भी भारत के वैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
हमारे देश में युवा की कमी नहीं है। युवा किसी भी देश की शक्ति होती है देश में अगर युवा न हो तो वो देश कभी विकास की राह नहीं चुन सकता है। देश में युवा का होना जरूरी है।

युवाः राष्ट्र की आशा के रूप में: किसी भी राष्ट्र की कुल जनसंख्या का 20-30 प्रतिशत हिस्सा युवा होते हैं। किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा वर्ग सर्वाधिक योगदान दे रहा है।

राष्ट्र की प्रगति विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, प्रबधंन और अन्य क्षेत्रों मे विकास पर निर्भर है। इन सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर युवा का सशक्तिकरण आवश्यक है।

युवा शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक : इन सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए युवाओं को एक सकारात्मक दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। युवाओं में विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। युवाओं को उचित दिशा शिक्षा और कौशल विकास को आवश्यकता है ताकि वे सही दिशा में समृद्धि पा सकें। युवा में काम करने की क्षमता होती है और वह उत्साह से भरा होता है और सफलता की ओर अग्रसर होने का उसमें हुनर होता है।

लोकतंत्र और सोशल मीडिया: एक नए युग की शुरुआत:

लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता की भागीदारी और प्रतिनिधितत्व महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया में एक नए युग की शुरूआत की है, जिससे जनता की आवाज और भागीदारी बढ़ी है।

जानकारी का प्रसार: सोशल मीडिया ने जानकारी के प्रसार को आसान बना दिया है, जिससे जनता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता चलता है।

जनता की भागीदारी: सोशल मीडिया ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे जनता के बीच विभाजन बढ़ सकता है। आज के युवाओं को नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और समाज में सकारात्मक परिवर्तक लाने के लिए काम करना चाहिए।

निष्कर्ष:

आज का युवा, राष्ट्र के भविष्य की स्थिति को आकार देता है, इसलिए युवाओं को पर्याप्त अवसर देकर उनकी शक्ति और क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। युवा वर्ग को ज्ञान और कौशल दोनों में निपुण करने की आवश्यकता है जिससे राष्ट्र का सर्वांगींण विकास हो सके। हमारे देश में युवा की कमी नहीं है। युवा किसी भी देश की शक्ति होती है। देश में अगर युवा न हो तो देश कभी विकास की राह नहीं चुन सकता देश में युवा का होना जरूरी है।

सुहानी
कला स्नातक प्रथम वर्ष
अनुक्रमाँक-25009

महिला और लोकतंत्र

प्रस्तावना: लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व मिले - विशेष रूप से महिलाओं को जो समाज की लगभग आधी आबादी है। महिला और लोकतंत्र का अर्थ है महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया मे इसमें अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है। महिला और लोकतंत्र एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और सामजिक विषय है जो समाज के विकास समानता और न्याय की दिशा में गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है चाहे वह पुरूष हो या महिला। लोकतंत्र का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब समाज के हर वर्ग का विशेषकर महिलाओं को समान भागीदारी और अवसर मिले। महिला और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं यदि महिलाओं की भागीदारी कमजोर होगी तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा।

महिलाओं की भूमिका लोकतंत्र में:

1. मतदान का अधिकार: भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं को समान रूप से वोट डालने का अधिकार है जो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की नीव है।

2. राजनीतिक भागीदारी : पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। 33 प्रतिशत आरक्षण पंचायतों में और संसद विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होना एक ऐतिहासिक कदम है।

3. नीति निर्धारण में योगदान : महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सुरक्षा आदि मुद्दों को प्रमुखता दी है जिससे लोकतंत्र की दिशा और दृष्टिकोण व्यापक हुआ।

लोकतंत्र के लाभ महिलाओं के लिए:

लोकतंत्र ने महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का मंच दिया है। पहले जहाँ वे केवल घर तक सीमित थी। आज वे नेता, अफसर वैज्ञानिक, शिक्षिका और उद्यमी बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण की कई योजनाएँ: जैसे ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,'' उज्जवला योजना, सुखद मातृत्व योजना, लोकतांत्रिक सोच की देन हैं।

वर्तमान चुनौतियाँ:

हालांकि कानून और संविधान महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हैं लेकिन समाज में आज भी कई बाधाएं हैं जैसे घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा और बाल विवाह। ये सब लोकतांत्रिक मूल्यों के विरूद्ध हैं और महिलाओं को सशक्त बनने से रोकते हैं।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी
- सामाजिक बंधन और लैंगिक भेदभाव
- शिक्षा और जागरूकता की कमी
- आर्थिक निर्भरता

महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र:

लोकतंत्र महिलाओं को समानता देता है अधिकारों में स्वतन्त्रता देता है अपनी बात कहने की संवैधानिक सुरक्षा देता है (जैसे - अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 आदि) और सशक्तिकरण का मंच देता है। उदाहरण: इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, मेधा पाटकर, अरूणा रॉय जैसी महिलाओं ने लोकतंत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। ग्राम पंचायतों में लाखों महिला सरपंच अब निर्णय ले रही हैं।

निष्कर्ष:

महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी लोकतंत्र संपूर्ण नहीं हो सकता। जब महिलाएं शिक्षित सशक्त और जागरूक होती है, तब वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं इसलिए ''सशक्त महिला-मजबूत लोकतंत्र'' एक सच्चाई है, जिसे स्वीकारना और लागू करना समय की मांग है।

नेहा देवी
कक्षा- कला स्नात्तक द्वितीय वर्ष
अनुर्कमाक-24010

लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका

लोकतंत्र में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र में मीडिया शिक्षित करता है, जानकारी देता है और मनोरंजन करता है। जिसमें समाचार, राय,व्यंग्य विश्लेषण और नाटक शामिल हैं। यह एक प्रमुख माध्यम है जिसके माध्यम से जनता राजनीति के बारे में सुनती है और यह जन एजेंडा को आकार देने और जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया की स्वातन्त्रता या प्रचारकों की निष्पक्षता पर हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। मीडिया बाजार में बदलावों के कारण स्थानीय और खोजी पत्रकारिता में कमी आई है और ध्रवीकरणकारी बयानबाजी और गलत सूचनाओं की बढ़ावा मिला है।

<u>लोकतंत्र के लिए मीडिया क्यों महत्वपूर्ण है?</u>

मीडिया लोकतांत्रिक भागीदारी का केंद्र बिन्दु है। यह विचारों के आदान–प्रदान, चर्चा और विमर्श के लिए मंच तैयार करता है जिसे कभी–कभी सार्वजनिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यह राजनेताओं और जनता के बीच संचार का एक माध्यम प्रदान करता है जिससे राजनेता अपने विश्वासों और प्रस्तावों को व्यक्त कर सकते हैं और राजनेताओं को जनता की आवाज सुनने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्टिंग और साक्षात्कार जैसी प्रत्यक्ष जाँच के माध्यम से राजनेताओं को जबावदेह ठहराने में भी मदद करता है।

जनमत निर्माण में मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अपनी कवरेज की विषय वस्तु और लहजे के माध्यम से, यह प्रभावित कर सकता है कि जनता किसी मुद्दे को कैसे समझती है, वे किन विषयों को महत्वपूर्ण मानते हैं और समग्र राजनीतिक निर्णय लेने में वे किस जानकारी का उपयोग करते हैं।

<u>एक स्वतन्त्र मीडिया कैसा दिखता है ?</u>

एक स्वतंत्र और स्वस्थ मीडिया के लिए कई विशेषताओं की आवश्यकता होती हैं जिनमें मीडिया की स्वतंत्रता, बहुलवाद निष्पक्ष, माध्यमों का अस्तित्व और उच्च पत्रकारिता मानक शामिल हैं। मीडिया की स्वतंत्रता का तात्पर्य राजनीतिक हस्तक्षेप और वित्तीय नियंत्रण दोनों से संपादकीय स्वतंत्रता से है। हालांकि राजनेताओं को अपने बारे में मीडिया सामग्री पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है लेकिन स्वतत्रंता के लिए यह आवश्यक है कि मीडिया संस्थान या व्यक्तिगत पत्रकार किसी विशेष दृष्टिकोण या तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए अनुचित दबाव में न आएँ।

<u>निष्पक्ष मीडिया आउटलेट:</u>

यह सुनिश्चित करते हैं कि जनता निष्पक्ष जानकारी तक पहुँच सके। एक ऐसा कार्य जिसे जनता का प्रवल समर्थन प्राप्त है। यूके के विभाजित मॉडल के तहत प्रसारकों के लिए निष्पक्ष होना आवश्यक है, अन्य मीडिया आउटलेट्स के लिए नहीं।

पत्रकारों के लिए उच्च मानदंड भी महत्वपूर्ण हैं। पत्रकारिता नैतिकता में तथ्यों की जाँच और सत्यापन के उच्च मानक, भ्रामक जोर से बचना स्त्रोतों की सुरक्षा और निजता का सम्मान शामिल है। 2011 के फोन हैकिंग कांड से पता चलता है कि ऐसी नैतिकताएँ जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं।

<u>मानकों का विनियमन</u>–आवश्यक है, लेकिन जटिल भी है, जिसके लिए मीडिया की स्वतंत्रता की आवश्यकता के साथ संतुलन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान मीडिया विधेयक उन समाचार पत्रों के लिए दण्डनात्मक हर्जाने की निरस्त करने का प्रस्ताव करता है जो किसी अनुमोदित नियामक व्यवस्था से संबंधित नहीं है।

शोभा
कक्षा कला स्नात्तक द्वितीय वर्ष
अनुक्रमाँक 24017

महिला और लोकतंत्र

प्रस्तावना: लोकतंत्र का मूल मंत्र है-जनता की सरकार, जनता के द्वारा और जनता एक लिए। यह व्यवस्था तभी सफल मानी जाती है जब समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार सम्मान और अवसर प्राप्त हों। महिलाओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है। वे समाज की आधी आबादी है और जब तक उन्हें बराबरी का दर्जा और पूर्ण भागीदारी नही तब तक लोकतंत्र की आत्मा अधूरी रहेगी।

लोकतंत्र और महिलाओं की भूमिका का इतिहास:

इतिहास में महिलाओं की स्थिति और सदर्भ में यह विषय काफी व्यापक है। प्राचीन काल में भारत में वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा यज्ञ हवन में भागीदारी, विवाह की स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्राप्त थे लेकिन मध्यकाल स्थिति में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराईयाँ बढ़ीं। लोकतान्त्रिक सहभागिता लगभग शून्य थी। आधुनिक काल में 19वी व 20वीं सदी में समाज, सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले स्वामी विवेकानंद ने महिला अधिकारों की वकालत की। महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। कुछ महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने स्वतन्त्रता संग्राम में नेतृत्व किया। स्वतंत्र भारत में, संविधान ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है। उन्हें मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सामजिक समानता का अधिकार मिला।

आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति:

आज के समय में महिलाएं आत्मनिर्भर , शिक्षित, जागरुक और समाज में बराबरी की दावेदार हैं। आधुनिक समय में स्त्रियों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं ने विज्ञान तकनीकी, इजीनियरिंग, गणित जैसे क्षेत्रों में महिलाएँ नाम उज्ज्वल कर रही है। रोजगार तथा आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं घरों तक सीमित नहीं है बल्कि सरकारी व निजि क्षेत्रों में, उद्यमिता तकनीकी कंपनियों जैसे बैंकिंग, डिफेंस और सर्विस सेक्टर में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पंचायत से लेकर संसद तक महिलाएँ नेतृत्व कर रही है। महिला आरक्षण बिल, पारित होने से अब विधानसभाओं में महिलाओं की अब भूमिका और बढ़ेगी। लोकतंत्र पुरुषों व महिलाओं दोनों को समान अधिकार देता है इन अधिकारों व उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बने है जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न का कानून, बालिका भ्रण हत्या पर रोक पर कड़े कानून का निर्माण किया गया है। महिलाओं ने सामजिक परिवर्तन और भूमिका में महिलाएं अब केवल घर की जिम्मेदारी नही बल्कि सोशल मीडिया पत्रकारिता, फिल्म साहित्य में महिलाओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया और साथ ही नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया।

महिला और लोकतंत्र:

महिलाओं और लोकतंत्र के बीच गहरा और अपरिहार्य संबंध है। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है सभी नागरिकों को समान अधिकार स्वतंत्रता और भागीदारी का अवसर देना। ऐसे में यदि समाज की आधी आबादी यानि महिलाएँ लोकतांत्रिक, प्रक्रियाओं में पूरी तरह शामिल नहीं होती तो लोकतंत्र केवल कागजी व्यवस्था बनकर रह जायेगा महिला और लोकतंत्र का आपसी संबंध मुख्य रूप से इन पहलुओं में दिखाई देता है जैसे समानता का सिद्धान्त: महिलाएं व पुरुष समान दोनों इस अधिकार की अधिकारी है जैसे वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि है। यदि महिलाओं को यह समान अधिकार न मिले तो मौलिक लोकतंत्र के मूल सिद्धान्त का उल्लंघन है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को सरकार बनाने और नीति निर्धारण में भाग लेने का अधिकार होता है। महिलाएँ जब राजनीति में हिस्सा लेती है, चुनाव लड़ती है, वोट डालती है या जनप्रतिनिधि बनती है तब वे लोकतंत्र को अधिक समावेशी और मजबूत बनाती हैं। लोकतंत्र महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है, अगर उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व के बराबर अवसर मिलें। नीति निर्माण के जरिये लोकतन्त्र महिलाओं की स्थिति को सुधारने में सहायक होता है। जब महिलाएं शासन और प्रशासन में आती है तो महिला हितैषी नीतियों बनती है जैसे कि महिला सुरक्षा, मातृत्व लाभ बालिका शिक्षा पोषण व घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून। इससे लोकतंत्र की जवाबदेही और प्रभावशीलता बढ़ती है। महिलाएं लोकतंत्र के माध्यम से सामजिक कुरीतियों जैसे जब महिलाएं दहेज प्रथा, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव आदि के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और जब जागरूक होगी तभी समाज का विकास होगा। कसी समाज में सुधार व तरक्की आयेगी।

लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ और महिलाएँ:

सामाजिक रूढ़ियों, और पितृसतात्मक सोच आज भी कई परिवारों में ये धारणा है केवल महिलाएं घरेलू कार्यों तक सीमित रहें। यह सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। सुरक्षा की समस्या गंभीर मुद्दा है राजनीतिक निष्कर्ष महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी लोकतंत्र सशक्त नहीं बन सकता। महिलाओं को अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि अधिकारों के प्रयोग के लिए सक्षम बनाना जरूरी है। जब महिलएँ शिक्षित होगी व उन्नत होगी तभी समाज में बदलाव होगा राजनीति लोकतंत्र अर्थव्यवस्था का विकास होगा और तभी सच्चे शब्दों में हमारा लोकतंत्र सफल व जीवंत कहलाएगा।

जया कुमारी
कला स्नात्तक तृतीय वर्ष
अनुक्रमाँक 23005

स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाना

जो भरा नहीं हैं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

मैं जिस विषय पर लिखने जा रही हूँ वह केवल इतिहास की कहानी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की आत्मा है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान हमारी आजादी की यह हवा, यह खुला आसमान, यह स्वतंत्र जीवन-यह हमें यूँ ही नहीं मिला। इसके पीछे अनगिनत वीर सपूतों का लहू, उनका तप-त्याग और उनका अदम्य साहस है। भारत की पावन धरा पर सदियों से त्याग और बलिदान की गाथाएं गूँजती रही है। किन्तु उन्नीसवीं और बीसवी शताब्दी के स्वाधीनता संग्राम में जो अमर गाथा रची गई, वह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण गाथा है इस भूमि के वीर सपूतों ने न केवल अपने प्राणों की आहूति दी, बल्कि अपने सपनों, सुख - सुविधाओं और पारिवारिक जीवन का भी बलिदान कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होकर स्वतन्त्रता का अमृत पान कर सके। स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं। यह संघर्ष और बलिदान की विरासत हैं। भारत की स्वतन्त्रता एक दिन में प्राप्त नहीं हुई है। यह हजारों-लाखों देशभक्तों के बलिदान का परिणाम हैं। आज हम एक स्वतन्त्रता और लोकतांत्रिक राष्ट्र में सांस ले रहे हैं, हमारा यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करें और उन महान आत्माओं के प्रति आभार प्रकट करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे। भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं की श्रृंखला नहीं, यह संघर्ष केवल सत्ता हस्तांतरण का आन्दोलन नहीं था बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आत्म गौरव की पुनः स्थापना और एक साझा राष्ट्र निमार्ण की प्रक्रिया थी। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान केवल किसी तिथि या घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र का आधार हैं। ऐसे में स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी हैं। हमारी आजादी उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की देन हैं, कई वीर ऐसे थे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए तो अनेक ऐसे भी थे जिनका नाम आज तक हमें ज्ञात नहीं।

बलिदान की अनुपम मिसालः महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया, भगत सिंह ने हंसते-हंसते फाँसी के तख्ते को चूमा। चन्द्रशेखर आजाद ने आजाद नाम की मर्यादा में प्राण दिये। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने ''तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूंगा।'' लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, आदि स्वतन्त्रता सेनानी बलिदान की अनुपम मिसाल हैं।

बलिदान का महत्वः स्वतंत्रता सेनानी वे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके त्याग और साहस के कारण ही आज हम लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता का आनंद उठा पा रहे हैं। इन वीरों ने यह सिखाया कि सच्ची देश भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और बलिदान से सिद्ध होती है। ये बलिदान केवल घटनाएं नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के स्तंभ हैं। यदि स्वतन्त्रता सेनानियों का बलिदान न होता तो हम आज भी परधीनता के अंधकार में जी रहे होते।

''ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी थी कि लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी थी
क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गँवाने का डर क्या था
क्या देखा हैं रातों-रात पूरे गाँव का जल जाना।
क्या देखा है वो मंजर बच्चों का भूख से मर जाना।
कहने को धरती अपनी थी पर भोजन का एक निवाला न था।
लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे
बहुत हुई तानाशाही अब तो देश को वापस पाना था।
15 अगस्त को हमने सुनहरे अक्षरों से गढ़वाया।
यही हमारा स्वतन्त्रता दिवस जो शान से 15 अगस्त कहलाया।''

<u>क्या हम स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान का सच्चा सम्मान कर पा रहे हैं ?</u>

सम्मान केवल माला पहनाने या चढ़ाने या भाषण देने से नहीं होता। सच्चा सम्मान तब होगा जब हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। जब हम देशहित को अपने निजी स्वार्थ के ऊपर रखें और जब हम अपने देश की एकता अखण्डता के लिए तन-मन-धन से खड़े रहें। स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान तभी सच्चा होगा जब हम उनके सपनों का भारत बनाएँ जहाँ न्याय, समानता और भाईचारा हो। जब हम ईमानदारी से काम करेंगे, अन्याय के खिलाफ आन्दोलन उठाएंगे तभी स्वतन्त्रता सेनानियों का सच्चा सम्मान होगा।

<u>बलिदान से प्रेरणाः</u> स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान की गाथाएं आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। उनके साहस, निडरता और देशभक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और न्याय के पथ पर अडिग रहना चाहिए। आज भले ही हम विदेशी शासन से मुक्त हैं लेकिन भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और अन्य चुनौतियों से लड़ने के लिए हमे वही जज्बा अपनाना होगा जो उन्होंने दिखाया था।

''आजादी नहीं होती है इतनी आसान, आजादी के लिए न जाने कितने महानायकों ने कुर्बान की है अपनी जान।''

हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि हम स्वतन्त्रता सेनानियों के बलिदान को न केवल याद रखें, बल्कि उसे अपनी दिनचर्या और आचरण में उतारें। उनके स्मारकों का संरक्षण उनके जीवन पर आधारित साहित्य का अध्ययन उनकी विचारधारा को नई पीढ़ी तक पहुचाना ही सच्चा सम्मान है। केवल राष्ट्रीय पर्वो पर भाषण देकर नहीं, बल्कि सत्य ईमानदारी, अनुशासन और देशहित को अपने जीवन में अपनाकर हम उनके सपनों का भारत बना सकते हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों का बलिदान हमारे दिए प्रेरणा का स्त्रोत है।

स्वतन्त्रता सेनानियों का बलिदान हमारे अस्तित्व का आधार है। उनकी स्मृति केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा भी है। जब तक इस देश की मिट्टी में उनकी गाथाएं गूँजती रहेंगी तब तक भारत स्वतन्त्रता के आकाश में ऊंची उड़ान भरता रहेगा। उनका सम्मान करना ही हमारे राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करना है। जिस देश के लोग अपने वीरों का सम्मान करते हैं उनका गौरव युगों युगों तक अमर रहता है।

<u>राष्ट्रीय एकता का जश्न मनानाः</u> भारत एक ऐसा देश है जो

विविधताओं में एकता का अदभुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ अलग-2 धर्म, भाषाएं, परम्पराएं, वेशभूषाएं और अलग-अलग संस्कृतियां हैं, फिर भी सबको जोड़ने वाली एक डोर राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाना केवल एक आयोजन नहीं बल्कि यह उस बंधन का उत्सव है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में मजबूती देता है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारा सम्मान और विश्वास। जब हम एकजुट रहते हैं तो बाहरी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती।

विविधता में एकता की पहचान : भारत अनेक विविधताओं वाला देश है , फिर भी 15 अगस्त तथा अन्य राष्ट्रीय पर्वो के दिन यह सारी विविधता एक ध्वज के नीचे आकर एक स्वर में कहती है कि' हम सब भारतीय हैं'' यह दिन हमें सिखाता है कि हमारी विविधताएं हमारी कमजोरी नहीं है।

राष्ट्रीय पर्व का उत्सव: 15 अगस्त को देशभर में तिरंगा लहराया जाता है। राजधानी दिल्ली में लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन होता है जिससे देश की उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और भविष्य की योजनाएं साझा की जाती है। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और ग्राम पंचायतों में झंडारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत और कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं। यह सब केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारी एकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

युवा पीढी की भूमिका : आज की युवा पीढ़ी को यह समझना आवश्यक है कि स्वतन्त्रता केवल उपहार नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और जिम्मेदारी का परिणाम है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना भेदभावों को मिटाना और देश की प्रगति में योगदान देना हर नागरिक का कर्तव्य है।

राष्ट्रीय एकता की चुनौतियाँ: आज के समय में राष्ट्रीय एकता को कई चुनौतियाँ हैं। क्षेत्रीय और भाषाई विवाद, जातिगत भेदभाव, धार्मिक कटरता राजनीतिक स्वार्थ, इनसे निपटने के लिए हमें शिक्षा तथा राष्ट्रहित को प्राथमिकता देनी होगी। आज के युवा आने वाले भारत के निर्माता हैं, उन्हें देश की एकता और अखंडता बनाये रखने के लिए कट्टरता नफरत और विभाजनकारी सोच का विरोध करना होगा। सोशल मीडिया और तकनीक का इस्तेमाल देश को जोड़ने के लिए करना होगा, तोड़ने के लिए नहीं।

15 अगस्त केवल स्वतंत्रता का स्मरण नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय एकता का उत्सव है। यदि हम संगठित रहेंगे तो भारत न केवल स्वतंत्र रहेगा बल्कि विश्व का अग्रणी और आदर्श राष्ट्र बनेगा। इस दिन हमें यह प्रण लेना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, हम सब एकजुट होकर देश की अखंडता और सम्मान की रक्षा करेगें।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता दिवस न केवल स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने का दिन हैं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय एकता का भी उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक राष्ट्र के नागरिक हैं और हमें एकजुट होकर देश के विकास में योगदान करना चाहिए। विविधता में एकता भारत की पहचान है। हमें इसे बनाये रखना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता हैं कि हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आज भी राष्ट्र विरोधी ताकतें समाज को बाँटने की कोशिश करती हैं। ऐसे समय में स्वतन्त्रता सेनानियों की गाथाएँ हमें एकजुट रहने की प्रेरणा देती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन और राष्ट्रीय एकता का उत्सव केवल अतीत को याद करना नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है।

मेरा भारत महान

चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले।
शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें,
जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे
देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें।

नीरज कुमारी
कक्षा- कला स्नात्तक तृतीय वर्ष
अनुक्रमाँक-23009

मलौण किला

मलौण किला जिसे गोरखा किला भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह किला एंग्लों-गोरखा युद्ध में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है विशेष रूप में 1815 में गोरखा और ब्रिट्रिश सेनाओं के बीच अंतिम लडाई के लिए वाइल्डकोन के अनुसार, यह किला प्रसिद्ध गोरखा योद्धा के वीरता, पूर्ण प्रदर्शन और उसके बाद डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व वाली ब्रिटिशसेना के समक्ष गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के आत्मसमर्पण के लिए उल्लेखनीय हैं। अर्की के मलौन किले से निकली थी दुनिया को अपने शौर्य और पराक्रम से दहला देने वाली पहली गोरखा रेजिमेंट, जिसके डेढ़ दर्जन सैनिकों ने अमर सिंह और भक्ति सिंह थापा की अगुवाई में तीन दिन चले भीषण युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन बाद में ब्रिटिश सेना के अत्याधुनिक हथियारों और तोपों के आग नतमस्तक हुए और उन्होनें नसीरी बटालियन का गठन करके इसे सेना में शामिल कर लिया। इस युद्ध में प्रयोग की गई तोप अभी भी सुबाथू के गोरखा संग्रहालय में रखी है। कारगिल युद्ध में भी गोरखा रेजिमेंट के मनोज पान्डेय जी को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। गोरखा रेजिमेंट अब देश की सेना की सबसे खूंखार और खतरनाक रेजिमेंट है गोरखों की खासियत है कि यह मौत से नहीं डरते। पहले फील्ड मार्शल माणेक शाह ने कहा था कि जो कहता है कि वो मौत से नहीं डरता या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। इस रेजिमेंट के दो शूरवीरों को परमवीर चक्र 33 महावीर चक्र और 82 वीर चक्र प्राप्त हुए। आजादी के बाद कुछ बटालियन ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनी बाकी भारतीय सेना में शामिल हुई। 1903 में मलौण किले के नाम से मलौण रेजिमेंट का गठन किया। मलौन का किला जो किसी समय शूरगाथाए लिखता था, आज खण्डहर बन चुका है यह अब न तो पुरातत्व विभाग के पास है और न ही भाषा और संस्कृति विभाग के पास। इसके रख रखाव का जिम्मा अब वन निगम के पास है। इस धरोहर को सहेजने की जरूरत है जबकि यह खस्ता हाल में हो चुकी है। सरकार को चाहिए की इस बेशकीमती धरोहर को संभाल कर रखे क्योंकि सेना से जुड़े कई गोरखा परिवार हिमाचल में बस गए हैं और उनकी आस्था के साथ कुलेदवी माँ काली का मन्दिर भी यहीं स्थित है। मलौण किले के रास्तों को पक्का करवाना चाहिए ताकि आने जाने वालों को आसानी हो।

नेहा शर्मा
कला स्नात्तक द्वितीय वर्ष
अनुक्रमाँक 24010

रामशहर किला

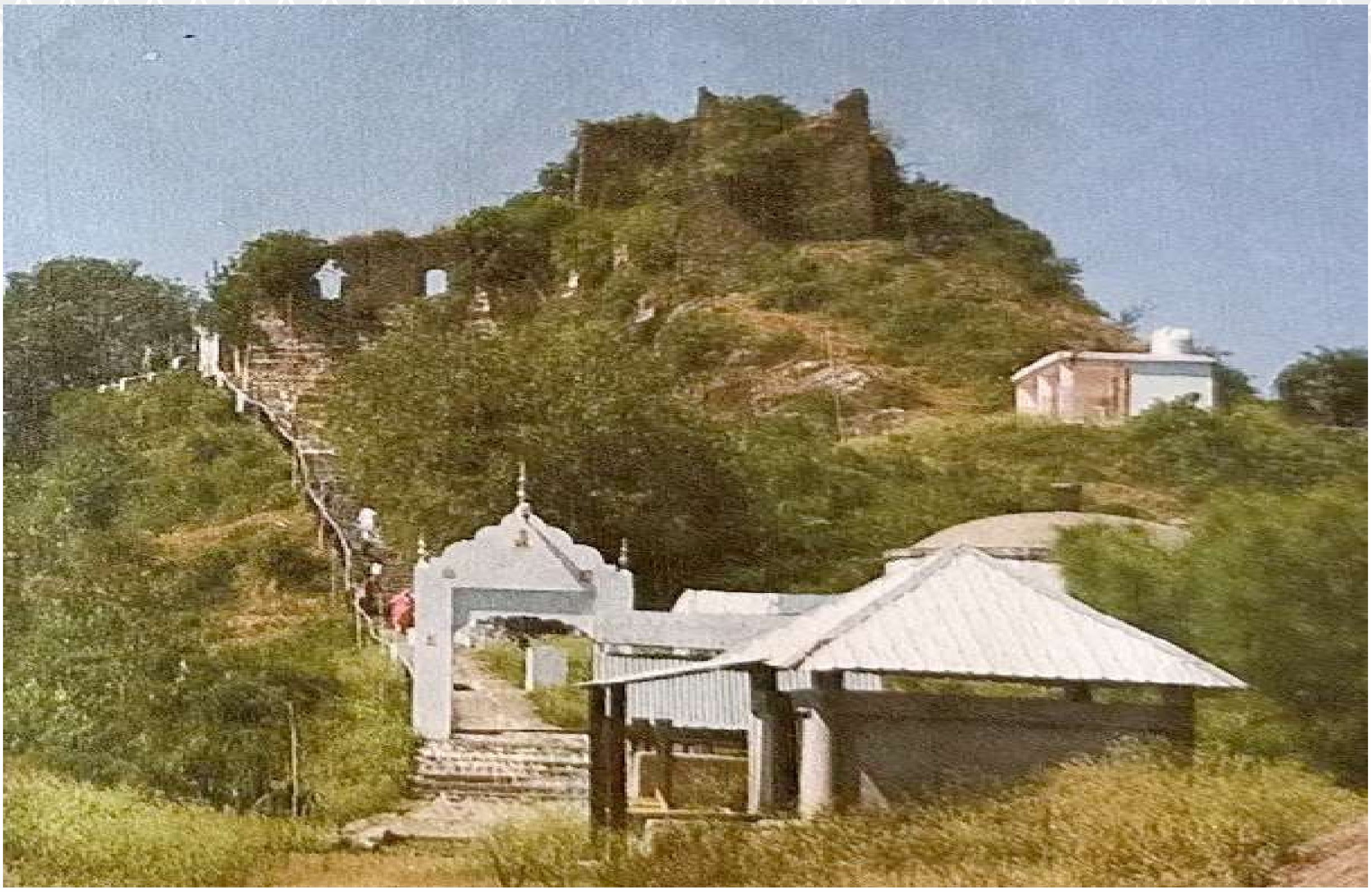

आज हम ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बात करने जा रहे है वो है जिला सोलन का रामशहर किला जिसका निर्माण राजा राम चंद ने अपने शौक के चलते करवाया था। दरअसल हंडूर रियासत के राजा विक्रम चंद जोकि 1477 से 1492 तक गद्दी पर रहे, तब नालागढ़ की बुनियाद रखी गई और नालागढ़ को रियासत की राजधानी बनाया गया राजा विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद राजा केदार चंद, राजा जय चन्द और फिर राजा नारायण चन्द गद्दी पर बैठा राजा नारायण चंद के देहांत के बाद उनके बेटे राजा राम चंद को गद्दी मिल गईं।

राजा राम चंद को कला और वास्तुकला (तामीरत) का बहुत शौक था इसलिए उन्होंने रामगढ़ के मशहूर किले का निर्माण (तामीर) करवाया था। राजा राम चन्द के देहांत के बाद राजा संसार चंद ने गददी संभाली। साल 1675 को संसार चंद के बेटे राजा धर्म चंद ने सत्ता की कमान संभाली। इसके बाद 1742 में सिरमौर रियासत की लड़ाई भी हुई जिसमें राजा धर्म चंद के भाई की युद्ध में मौत हो गई राजा धर्म चंद के बाद भी कई राजाओं ने यहां राजपाठ संभाला। साल 1842 को बसंत पंचमी के दिन राजा राम सरण को गद्दी पर बैठाया गया।

राजा राम सरन ने रामशहर में 1 झोड़ को तालाब बनवाया जिसमें रिवालसर झील की तरह पांच टीले पानी में तैरते थे इस तालाब के साथ ही माता सखड़ी देवी मन्दिर है जोकि राजा ईश्वरी सिंह द्वारा स्थापित करवाया गया था। माता को हंडूर के लोग सती माता के नाम से पूजते हैं। माता के मन्दिर के बिल्कुल साथ बना ये तालाब आज भी मौजूद है और इसके पानी से नहाने मात्र से चर्म रोग जैसी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं लेकिन वर्तमान में लापरवाही के चलते आज ये तालाब अपनी पहचान खो चुका है।

रामशहर किला, नालागढ़ से 10 मील की दूरी पर स्थित है इस शहर में किसी समय बहुत रौनक हुआ करती थी और 300 के करीब दुकानें हुआ करती थी। किले में एक दरवाजा बनाया गया है जिसका नाम नालागढ़ गेट है और यहां खड़े होकर नालागढ़ का पूरा नजारा देखा जा सकता है। साथ ही किले में आज भी पुरानी कैदियों की जेल मौजूद है। साथ ही किले में भंडार गृह के लिये राजा द्वारा पांच कुएं भी बनवाये गये थे जिसमें राजा अपना राशन और अन्य सामग्री रखते थे। किले में रानियों के लिए स्नान गृह भी बनवाये गये थे। साथ ही किले के मुख्य द्वार के दरवाजे पर हाथी दांतों से की गई कलाकारी आज भी देखी जा सकती है।

रामशहर किले में घूमने का सही समय जुलाई से लेकर मार्च तक है बरसात में पहाड़ों में उड़ते बादल व हरी हरी घास यहाँ की खूबसूरती में चार चाँद लगा देती है।

रामशहर फोर्ट रिजॉर्ट एक हेरिटेज संपति है जो हि0 प्र0 में स्वारघाट रोड़ पर रामशहर बस स्टैंड से 2.5 कि0 मी0 दूर स्थित है।

प्रीती शर्मा
कला स्नात्तक द्वितीय वर्ष
अनुक्रमाँक– 24011

महिला और लोकतंत्र

प्रस्तावनाः

लोकतंत्र को जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन कहा गया है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसमें सभी वर्गों को समान अवसर मिले। महिला समाज का आधा हिस्सा है और बिना महिलाओं की भागीदारी के लोकतंत्र अधूरा है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो यह विषय और भी प्रासंगिक हो जाता है कि लोकतंत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है और उन्हें किस प्रकार सशक्त बनाया जाए?

महिला और लोकतंत्र का सबंधः

लोकतंत्र का आधार समानता और स्वतंत्रता है। महिलाओं का शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्हें बराबरी के अवसर प्रदान करे। भारतीय लोकतंत्र का सौभाग्य है कि हमारे संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार समान मताधिकार और गरिमा से जीने का अधिकार दिया।

महिलाओं की भागीदारीः महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम मे बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज पंचायत स्तर पर से लेकर संसद तक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। 73 वें और 74वें संविधान संशोधन के तरह पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला नेता लोकतंत्र की मिसाल पेश कर रही है।

चुनौतियांः सामाजिक कुरीतियाँ और लैंगिक भेदभाव अभी भी महिलाओं की प्रगति में बाधा है। राजनीति और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी लोकतांत्रिक अवसरों का लाभ उठाने में बाधक बनती है।

समाधान एवं सुधारः महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जाए। सामाजिक जागरूकता अभियानों से मानसिकता बदली जाए। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित किया जाए।

लोकतंत्र मे महिला नेतृत्व के उदाहरण :

- **इंदिरा गांधी :** भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व पर भारत की छवि को मजूबत किया।
- **प्रतिभा पाटिलः** भारत की पहली महिला राष्ट्रपति।
- **ममता बनर्जी और जयललिताः** क्षेत्रीय राजनीति की सशक्त महिला नेता।
- **विश्व स्तर परः**ब्रिटेन की मार्गरेट थैयर जर्मनी की एंजेला मर्केल बांग्लादेश की शेख हसीना और पाकिस्तान की बनजीर भुट्टो जैसी महिलाएं लोकतंत्र में महिलाओ नेतृत्व का प्रमाण है।

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और महिला सशक्तिकरणः हर वर्ष 15 सिंतबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित और मजबूत करना। इस दिन का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम महिला और लोकतंत्र के संबंध को समझते हैं। यदि महिलाओं को समान अवसर और भागीदारी मिलेगी तो लोकतंत्र की जड़े और गहरी होगी। लोकतंत्र का असली उत्सव तभी है जब हर महिला का शिक्षा, सम्मान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले।

निष्कर्षः लोकतंत्र तभी सफल और सार्थक हो सकता है जब उसमें महिलाओं को समान भागीदारी मिले। महिला सिर्फ घर की सीमा तक नहीं बल्कि लोकतंत्र की धुरी है। लोकतंत्र और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। यदि महिलाएं जागरूक, शिक्षित और सशक्त होगी तो लोकतंत्र और राष्ट्र दोनों मजबूत होंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देकर ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी।

पूनम
कला स्नातक द्वितीय वर्ष
अनुक्रमाँक–24015

वैश्वीकरण और लोकतंत्र

भूमिका :- वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दुनिया भर के लोग, संस्कृतियाँ, अर्थव्यवस्थाएँ और एक-दूसरे से अधिक जुड़ जाते हैं जिससे वस्तुएँ, सेवाएं, सूचनाएं और विचार सीमाओं के पार आसानी से आ जा पाते हैं। इसकी लोकतंत्र में एक जटिल भूमिका है यह नागरिकों को वैश्विक मुद्दों से जोड़ सकता है और नई तकनीकों के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी बढ़ा सकता है लेकिन यह शक्तिशाली वैश्विक ताकतों और असमानताओं को भी बढ़ावा दे सकता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुनौती देते हैं। वैश्वीकरण वस्तुओं, सेवाओं पूंजी, तकनीक और सूचना के सीमाओं के पार आदान प्रदान और आवागमन में वृद्धि जिससे दुनिया भर के देश, अर्थव्यवस्थाएँ और समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और साँस्कृतिक रूप से अधिक परस्पर निर्भर बनते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो राष्ट्रों को एक वैश्विक बाजार में जोड़ती है, सूचना और विचारों को तेजी से फैलने देती है, और विभिन्न संस्कृतियों के बीच जुड़ाव बढ़ाती है। वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है विश्व+एकीकरण।

वैश्वीकरण का महत्त्व: आर्थिक विकास को बढ़ावा देना विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ना, प्रौद्योगिकी और विचारों के आदान प्रदान से नवाचार को गति देना और देशों के बीच वैश्विक सहयोग बढ़ाना है जिससे दुनिया भर के लोगों के लिए अधिक अवसर पैदा होते हैं हालांकि यह पर्यावरणीय अवसर समस्याओं और विकास असंतुलन जैसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। वैश्वीकरण देशों को संसाधनों, पूंजी और तकनीकों तक पहुंचने में मदद करता है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता। है। यह बाजारों को खोलता है और व्यापार तथा निवेश के अवसर पैदा करता है।

वैश्वीकरण के प्रभाव:

वैश्वीकरण के कई साकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है जिनमें आर्थिक विकास और रोजगार सृजन तकनीकी उन्नति और साँस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और साँस्कृतिक एकरूपता का खतरा भी है। यह दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का बेहतर आदान-प्रदान होता है, लेकिन इसने वैश्विक स्तर पर असमानता और स्थानीय उत्पादों के प्रति अरूचि को भी बनाया है। सकारात्मक प्रभाव जैसे वैश्वीकरण ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे भारत जैसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। नकारात्मक प्रभाव जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ने से स्थानीग उद्योगों, जिनके पास सीमित पूंजी हैं के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है।

वैश्वीकरण में लोकतंत्र का महत्त्व: वैश्वीकरण के संदर्भ में लोकतंत्र का महत्व इस बात में निहित है कि कि यह वैश्विक बाजारों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है, जो अन्तत: आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को अधिक टिकाऊ और समावेशी बनाते हैं। वैश्वीकरण का एक पहलू, जिसे लोकतांत्रिक वैश्वीकरण भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जबकि लोकतंत्र की स्थापघ्ना और प्रोत्साहन में भी सहायक होता हैं। जैसे यह प्रक्रिया आर्थिक और मानवाधिकारों के विकास में भी सहायक, हो सकती है

लोकतंत्र का अर्थ: लोकतंत्र का अर्थ ''जनता की शक्ति'' या, ''जनता द्वारा शासन'' है। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें है, जनता अपने नेताओं का चयन करती है। लोकतंत्र में समानता, भागीदारी और मौलिक अधिकारों जैसे सिद्धातों पर जोर दिया जाता है और यह जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोक का अर्थ जनता और तंत्र का अर्थ शासन या व्यवस्था है, इसलिए लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन लोकतंत्र में जनता खुद पर शासन करती हैं, सीधे तौर पर या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। इस व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन लिंकन कहा था, लोकतन्त्र जनता की जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार हैं। लोकतंत्र में नागरिक खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, और सरकार के निर्णयों का विरोध कर सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहाँ नागरिक सीधे तौर पर निर्णय लेते हैं, जैसे जनमत संग्रह के माध्यम से और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहाँ लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं. और वे प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन करते है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जनता स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोकतंत्र की परिभाषा उस शासन - प्रणाली से संबंधित है जिसमें जनता की शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकतत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राजनैतिक शक्ति लोगों था राज्य की आबादी में निहित होती है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है

जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं यह व्यवस्था जनता द्वारा, जनता के लिए, और जनता का शासन के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ जनता अपने शासकों का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। निर्वाचित होने वाले अधिकारी आमतौर पर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या विधान सभा के सदस्य स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि जैसे प्रमुख अधिकारियो का चुनाव होना आवश्यक होता है। लोकतंत्र की सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। लोकतंत्र के गुण - नागरिकों को मिलने वाली स्वतंत्रताएँ, जैसे अभिव्यक्ति और मतदान की स्वतंत्रता सरकार की जवाबदेही, क्योंकि जनता उसे चुनती है है और बदल सकती है।समानता का सिद्धांत, जहाँ हर नागरिक कानून के सामने समान होता है। निर्णय लेने की बेहतर गुणवत्ता और विभिन्न मतों का सम्मान और शाँति पूर्ण तरीके से सत्ता का परिवर्तन। लोकतंत्र के अवगुण - निजि निर्णय प्रक्रिया भ्रष्टाचार की संभावना, अल्पसंख्यको के हितो की अनदेखी, मतदाताओं की उदासीनता और अस्थिरता इसके अलावा, लोकतंत्र में अक्सर अयोग्य नेताओं का चुनाव हो सकता है, अत्यधिक खर्च हो सकता है और सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है।

निष्कर्ष: वैश्वीकरण दो शब्दो से मिलकर बना हुआ है। विश्व + एकीकरण। वैश्वीकरण का एक पहलू जिसे लोकतांत्रिक वैश्वीकरण कहा जाता है। लोकतंत का अर्थ जनता की शक्ति था जनता द्वारा शासन। लोक का अर्थ जनता तथा तंत्र का अर्थ शासन।

ज्योतिका शर्मा
कला स्नातक प्रथम वर्ष
अनुक्रमाँक25006

वैश्वीकरण और लोकतंन्त्र

भूमिका:
वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के लोग, संस्कृतियाँ, अर्थव्यवस्थाएँ और एक-दूसरे से अधिक जुड़ जाते है, जिसमें वस्तुएँ, सेवाएँ, सूचनाएँ और विचार सीमाओं के पार आसानी से आ-जा पाते है इसकी लोकतंत्र में एक जटिल भूमिका है। यह नागरिकों को वैश्विक मुद्दों से जोड सकता है और नई तकनीकों के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी बढ़ा सकता है, लेकिन यह शक्तिशाली वैश्विक ताकतों और असमानताओं को भी बढ़ावा दे सकता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुनौती देते है। वैश्वीकरण वस्तुओं, सेवाओं पूँजी, तकनीक और सूचना के सीमाओं के पार आदान प्रदान और आवागमन में वृद्धि जिसमें दुनिया भर के देश, अर्थव्यवस्थाएँ और समाज आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और साँस्कृतिक रूप से अधिक परस्पर निर्भर बनते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो राष्ट्रों को एक वैश्विक बाजार में जोड़ती है, सूचना और विचारों को तेजी से फैलने देती है, और विभिन्न संस्कृतियों के बीच जुड़ाव बढ़ाती है। वैरवीकरण दो शब्दो से मिलकर बना हुजा है विश्व + एकीकरण।

लोकतंत्र का अर्थ:
लोकतंत्र का अर्थ जनता की शक्ति या जनता द्वारा शासन है। यह एक ऐसी शासन प्रणांली है जिसमें जनता अपने नेताओं का चयन करती है, अकसर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से। लोकतंत्र में समानता, भागीदारी और मौलिक अधिकारों जैसे सिद्धान्तों पर जोर दिया जाता है और यह जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोक का अर्थ जनता और तंत्र अर्थ शासन या व्यवस्था है इसलिए लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन लोकतंत्र में जनता खुद पर शासन करती है सीधे तौर पर या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। इस व्यवस्था में सभी व्याक्तयों को समान अधिकार और अवसर मिलते है चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हों। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था,लोकतंत्र जनता की जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है। लोकतंत्र की नागरिक खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, और सरकार के निर्णयों का विरोध कर सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहाँ नागरिक सीधे तौर पर निर्णय लेते है, जैसे जनमत संग्रह के माध्यम से और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जहाँ लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और वे प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन प्रणाली है, जिसकें अंतर्गत जनता स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि-चुन सकती है। लोकतंत्र की परिभाषा उस शासन-प्रणाली से संबंधित है। जिसमें जनता की शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष भा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है। जिसमे राजनीतिक शक्ति लोगों या राज्य की आजादी में। निहित होती है। लोकतंत्र शासन का एक: ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र मे जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। यह व्यवस्था जनता द्वारा, जनता के लिए, और जनता का शासन के सिद्धान्त पर आधारित है, जहाँ जनता अपने शासकों का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि होते है। निर्वाचित होने वाले अधिकारी आमतौर पर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, संसद विद्यान. सभा के सदस्य और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि जैसे प्रमुख आधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक होता है। लोकतंत्र की सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है।

लोकतंत्र के गुण: नागरिकों को मिलने वाली स्वतंत्रता जैसे अभिव्यक्ति और मतदान की स्वतंत्रता सरकार की जवाबदेही, क्योंकि जनता उसे चुनती है और बदल सकती है, समानता का सिद्वान्त, जहाँ हर नागरिक कानून के सामने समान होता है निर्णय लेने की बेहतर गुणवत्ता और विभिन्न मतों का सम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का परिवर्तन।

लोकतंत्र के अवगुण: धीमी निर्णय प्रक्रिया, भ्रष्टाचार की संभावना, अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी मतदाताओं की उदासीनता और अस्थिरता इसके अलावा, लोकतंत्र में अक्सर अयोग्य नेताओं का चुनाव हो सकता है, अत्यधिक खर्च हो सकता है। और सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है।

सुनीता
कक्षा- कला स्नात्तक प्रथम वर्ष
अनुक्रंमाक-25012

भारतीय तकनीकी और आर्थिक प्रगति

भारत एक प्राचीन सभ्यता का देश होने के साथ-साथ आज उभरती हुई शक्ति भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने विज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

तकनीकी प्रगति: भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्रो में विश्व- स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ;प्ैत्व्द्ध ने चन्द्रयान और मंगलयान जैसी अभियानों से पूरी दुनिया को चौकाया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के दूरदराज क्षेत्रों तक इंटरनैट और आनलाईन सेवाएं पहुँचाकर लोगों के जीवन और कृत्रिम बुद्धिमता ; प्द्ध के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ रहा है।

आर्थिक प्रगति : भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र ने मिलकर देश को एक मजबूत आर्थिक आधार दिया है। आईटी उद्योग, स्टार्टअप संस्कृति, ई-कॉमर्स, और विनिर्माण ने लाखों लोखों को रोजगार उपलब्ध कराया है। भारत का जीडीपी लगातार बढ रहा है और विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार में बढ-चढकर निवेश कर रहे हैं।

तकनीकी और अर्थव्यवस्था का संबंध: तकनीकी विकास ने केवल उत्पादन क्षमता बढाई है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी भारत की स्थिति को मजबूत किया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, ऑनलाईन शिक्षा और स्मार्ट शहर योजनाओं ने आर्थिक गतिविधियों में गति लाई है।

आर्थिक क्षेत्र में प्रगति: भारत आज विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है।

- **कृषि क्षेत्र :** आधुनिक खेती की तकनीको सिंचाई योजनाओं और कृषि सुधारों ने उत्पादन में वृद्धि की है।

- **उद्योगः** ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, और मैन्यूफैक्चरिंग में भारत का योगदान बढ़ रहा है।
- **सेवा क्षेत्रः** पर्यटन, बैकिंग, और आईटी सेवाओं नें भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- **विदेशी निवेशः** स्थिर नीतियों और आर्थिक सुधारों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है।

तकनीकी क्षेत्र में उपलब्धियाँ : भारत ने तकनीकी जगत में अद्वितीय सफलताएं अर्जित की हैं।

- **अंतरिक्ष विज्ञानः** इसरो ने अपने सीमित बजट के बाबजूद मंगलयान चन्द्रयान-3 और आदित्य स-1 जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर विश्व को चौंका दिया।
- **सूचना प्रोद्योगिकीः** बेगलुरू, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर आज ''आई टी हब'' के रूप में प्रसिद्ध हैं जहाँ से विश्व की बडी-बडी कंपनियों के प्रोजेक्ट संचालित होते हैं।
- **डिजिटल क्रांतिः** डिजिटल इंडिया अभियान ने गांव गांव तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुचाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय में नई ऊर्जा का संचार किया।
- **स्टार्टअप संस्कृतिः** स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया योजनाओं ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है, जिससे नवाचार को बढाया मिला है।

चुनौतियाँ और समाधानः प्रगति के साथ साथ भारत को कुछ चुनौतियां का सामना भी करना पड़ता है।

- **बेरोजगारीः** कौशल विकास और रोजगार सृजन योजनाओं की आवश्यकता है।
- **गरीबीः** सामाजिक कल्याण योजनाओं और आर्थिक अवसरों के विस्तार से इस समस्या का समाधान संभव है।
- **पर्यावरण प्रदूषण :** नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की नीतियाँ अपनानी होंगी।

भारत की तकनीकी और आर्थिक प्रगति हमारी सामूहिक मेहनत और दूरदृष्टि का प्रतीक है। यदि हम नवाचार, शिक्षा, सतत विकास की राह पर चलते रहें, तो आने वाले वर्षों में भारत विश्व की महाशक्तियों में गिना जाएगा।

प्रीति शर्मा
कला स्नातक द्वितीय वर्ष
अनुक्रमाक-24011

भारत की तकनीकी और अर्थिक प्रगति

प्रस्तावनाः

15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। सदियों की दासता, संघर्ष और बलिदान के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं थी, यह सामाजिक आर्थिक और वैज्ञानिक पुनर्निमाण का भी प्रारम्भ थी। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों का आकलन करने और भविष्य की योजनाओं को तय करने का अवसर भी है। आज 78 वर्षो के बाद, भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय ऊँचाईयाँ प्राप्त की हैं और आर्थिक दृष्टि से विश्व की अग्रणी शक्तियों में स्थान बनाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने आत्मनिर्भर विकास के कई प्रयास किए। प्रारंभ में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और सीमित तकनीकी आधार था। लेकिन समय के साथ औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। 1950-60 के दशक में पहले पंचवर्षीय योजनाओं ने उद्योग, रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को केन्द्र में रखा। 1991 में उदारीकरण के बाद विदेशी निवेश, निजी उद्यम और बुनियादी ढांचे में तेजी आई, जिससे आर्थिक वृद्धि और समृद्धि के रास्ते खुले। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष 2025 में भारत दुनिया की पाँचवी सबसे बडी अर्थव्यवस्था (लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब) बन चुका है, इस उपलब्धि में निरंतर आर्थिक सुधारों और तकनीकी क्रांति का अहम योगदान है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

भारत प्राचीन काल से ही तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से उन्नत रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत नगर नियोजन, जल-निकासी, तोल माप प्रणाली और समुद्री व्यापार विकसित थे। वैदिककाल में कृषि, धातुकर्म और वस्त्र उद्योग में प्रगति हुई। मध्यकाल में मुगल शासन के दौरान नहर निर्माण, भवन कला और हथकरघा उद्योग फले-फूले। भारत का वस्त्र और मसाला व्यापार विश्वभर में प्रसिद्ध था, जिससे इसे 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। अंग्रेजी शासन में रेल, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था आई, परंतु ब्रिटिश नीतियों से कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प को भारी हानि पहुंची। स्वतंत्रता से पहले भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की, परंतु औपनिवेशिक शोषण ने इसकी आर्थिक शक्ति को कमजोर कर दिया।

तकनीकी प्रगति और वर्तमान स्वरूपः

भारत में तकनीकी क्षेत्र ने पिछले दशक में अभूतपूर्व प्रगति की है। विशेष रूप से डिजिटल इंडिया पहल के तहत देशभर में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। 2014 में मात्र 25.15 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। जो आज बढ़कर 96.96 करोड़ हो चुके हैं। आज भारत में विश्व की शीर्ष पेंटन्ट दाखिल करने वाले कार्यालयों में छठा स्थान है, जो नवाचार दक्षमता का परिचायक है। दूरसंचार, कंम्प्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोश के अनुसार भारत 2024-25 में 7 प्रतिशत बढ़ोतरी दर बनाए रखेगा, पूंजी निवेश, उपभोक्ता माँग और निर्यात में बढ़ोतरी से उच्च विकास दर में योगदान किया है। केंद्रीय सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम शुरू किए है, जिनका लक्ष्य विनिर्माण, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस पहलों को देश के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में मेक इन इंडिया अभियान से उत्पादन और निर्यात बढ़े है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिली है।

दीक्षा कुमारी
कला स्नातक तृतीय वर्ष
अनुक्रमाँक 23004

The Spirit of Youth and Progress

1. **Introduction:** Youth is a crucial phase in every individual' life marked by energy, exploration and growth. It's a period when young people transit from childhood to Adulthood, navigating various challenges and opportunities a long the way. This dynamic stage is marked by growth, responsibility and aspirations as follows.
2. **Exploration and Discovery:** During youth, Individuals embark on a journey of self-discovery, exploring their interests, passions and aspirations. This phase is characterized by curiosity and a thirst for knowledge, as young people seek to understand themselves and the world around them.
3. **Challenges And Responsibilities:** With youth comes a set of challenges and responsibilities, as individuals transit into Adulthood. They face decisions about education, careers, relationship, and personal values. This period can be daunting yet exciting, as young people learn to navigate the complexities of life and make choices that shape their future.

   In conclusion, youth is a transformative phase filled with opportunities for growth and self-discovery.

   It's a time when individuals lay the foundation for their future and embrace the challenges that come their way. With the right support and guidance, young people can harness their potential and contributes positively to society
4. **Contribution to society:** Despite their age, young people have the power to make a difference in society. Whether through activism volunteer work or innovative drive positive change and inspire others to do the same.
5. **Pursuit of Dreams:** During the youth, people chase their dreams with forever, driven by passion and ambition. This period is marked by a sense of possibility and a belief that anything is achievable with dedication and determination.
6. **Conclusion**: In conclusion, youth is a transformative phase filled with opportunities for growth and self-discovery.

   It's a time when individuals lay the foundation for their future and embrace the challenges that come their way. With the right support and guidance, young people can harness their potential and contributes positively to society

Shobha Devi
B.A.2nd Year
Roll No. 24017

Role of Education in National Unity

India is a country of countless diversities, there are different states, languages, customs and religions yet despite all these differences. We proudly say- "unity" in diversity but this unity doesn't come automatically it is built, nurtured and strengthened through education, which is the light that removes the darkness, ignorance and hatred. Our India is a land of different cultures and traditions. Yet, what binds us together as One Nation is our sense of unity. This unity is strengthened by education.

Education is not just about reading books or scoring marks. It is about to respect each other, to understand differences and to live together with harmony. Truly learning educated people never discriminate on the basis of caste, religion or region instead they see every Indian as their brother or sister. When we learn about our constitution, our freedom struggle, and about the great leaders like Sardar Valabhbhai Patel, we understand the value of unity are equality, liberty and fraternity. The three pillars that make Indian strong and united.

In classrooms, when students from different backgrounds sit together, share ideas and dream of a better future that is where national unity is born, because education builds minds and united minds builds a powerful nation. We also need to remember that educated citizens are more aware of their rights and duties. They understand the importance of a strong and united India. So we need to take an oath that we will use our education to unite not to separate, to uplift others, not look down on them and to build an India where every heart beats for one name - Bharat. Because only an educated mind can create a united nation. So let us be the generation that keeps India united, Strong and proud. Every year on 31st October, we celebrate National Unity Day to honor the vision and determination of the iron man the India as Sardar Patel, whose efforts united the country after independence.

Payal Kumari
B.A.3rd Year
Roll No. 23010

Annual Prize Distribution Function 2025-26

VISION AND MISSION OF THE COLLEGE

Vision of the college

The college is committed to creating and sustaining the conditions that enable all students to embark on an extraordinary educational journey that is intellectually, socially, and personally transformative with ethical values. It also aims to empower students, many of whom come from rural, marginalized, and underprivileged backgrounds, to become better individuals and make a positive impact on society. The college strives to provide quality education to enable students to confront the world's challenges with courage and confidence. The college aims to create responsible citizens who contribute positively to society through academic excellence, cultural awareness, leadership and community service.

Mission of the college

- To promote an environment of learning in the college campus so that the students can develop their interpersonal skills.
- To embrace creativity and encourage innovation among students.
- To provide an amiable atmosphere for critical thinking and effective communication skills.
- To inculcate the feelings of harmony, cooperation, care, respect and punctuality to be a good citizen.
- To inculcate good value system to face the challenges of the continuously changing world.
- To encourage students to participate in co-curricular activities for their overall personality development so that they can become active social worker.
- To empower students to take ownership and responsibility for their present and future learning by developing their academic and technological skill.